कुरुक्षेत्र

PUBLICATIONS DIVISION
Ministry of I & B.
LIBRARY
1 0 ... 1956

कुरुक्षेत्र

सामुदायिक विकास-योजना प्रशासन का मासिक मुखपत्र

वर्ष १] जून १९५६ [अंक ८

विषय-सूची

आवरण चित्र [कलाकार : सुशील सरकार]		
प्रमुख समस्या ! [व्यंग्य-चित्र]	सैमुअल	२
बंगाल के एक गाँव में जन-न्यायालय	कर्ट० एफ० लीडेकर	३
बहादुरपुर विकास खण्ड	सच्चिदानन्द त्रिपाठी	५
ग्राम सेमिनार	वी० आर० रूथनम	८
तीसरे वर्ष में हमने क्या किया ?	'विकास'	१०
समाजवाद का विकास	के० सन्तानम्	११
जो महाराजा न कर सका	...	१३
दस्तकारियाँ और कुटीर उद्योग	चित्रावली	१५-१८
गाँव का विकास [एकांकी]	महेन्द्रकुमार मुकुल	१९
शमसपुर में समाजवाद	डी० राघवन	२६
खाद्य पदार्थों के गुण और उपयोगिता	सावित्रीदेवी वर्मा	२८
प्रगति के पथ पर	...	३१

सम्पादक :

केशवगोपाल निगम

[सहकारी सम्पादक प्रकाशन विभाग]

उप-सम्पादक : *मनोहर जुनेजा*

मुख्य कार्यालय
ओल्ड सेक्रेटेरिएट,
दिल्ली—८

वार्षिक चन्दा २॥)
एक प्रति का मूल्य ।)

विज्ञापन के लिए
बिज़नेस मैनेजर, पब्लिकेशन्स डिवीजन
दिल्ली—८ को लिखें

प्रमुख समस्या !

प्रशिक्षण शिविर में ग्राम सेविकाओं का बड़ा मनोरंजक कार्यक्रम रहता है—भूदान,

श्रमदान,

गाँवों की सफ़ाई,

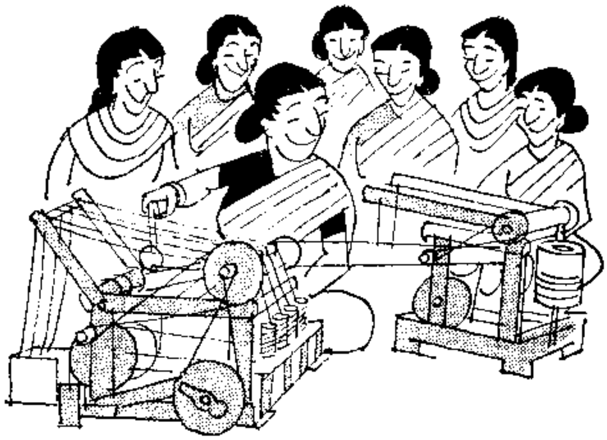

अम्बर चर्खे के प्रयोग का प्रशिक्षण,

और दस्तकारियों की कक्षा,

परन्तु घर लौटने पर उन्हें पता चलता है कि चूल्हा-चक्की ही उनके जीवन की प्रमुख समस्या है !

बंगाल के एक गाँव में जन-न्यायालय

कर्ट० एफ़० लीडैकर

आम के पेड़ों के झुंड में अचानक हमारी बैलगाड़ी खड़ी हो गई—उस बैलगाड़ी में मेरे अतिरिक्त श्री धीरेन्द्र दत्त और श्री राव सवार थे। हमारे आगे की बैलगाड़ी में ग्राम-शिक्षा सुपरिंटेंडेंट श्री एस० चटर्जी और डाक्टर घोष भी थे। हम सब श्रीनिकेतन से आ रहे थे। मोड़ नाजुक था, अगली बैलगाड़ी के बैल अधिक चुस्त नहीं थे, इस कारण मुड़ते-मुड़ते पेड़ों की लपेट में आ गए थे।

बैलगाड़ी में सफ़र करने का मेरा यह पहला मौका था। घास-फूस पर बैठने के लिए कम्बल बिछा दिया था, खरपच्चियों की छत सूरज की किरणों से बचाए हुए थी। इसलिए मुझे सफ़र करते हुए किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही थी। हाँ, सड़क समतल नहीं थी—ऊबड़-खाबड़ थी। रास्ता जहाँ-जहाँ कच्चा था, बरसात के कारण वहाँ काफ़ी दलदल हो गई थी। हमारे रुकने से क्षण भर पहले श्री दत्त ने, जो श्रीनिकेतन की ग्राम पुनर्निर्माण संस्था के सहकारी मन्त्री हैं, मुझे और श्री राव को एक सड़क दिखाई थी, जो एक समीपवर्ती गाँव की तरफ जा रही थी। यह सड़क पूर्णतया गाँव के लोगों ने बनाई थी, स्वस्थ और सशक्त लोगों ने श्रमदान किया, बाकी लोगों ने नकदी दी और स्त्रियों ने सब के लिए खाने का प्रबन्ध किया। यह सड़क श्रीनिकेतन के सुझाव पर और उसके निर्देशन में बनाई गई थी। श्रीनिकेतन, रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शान्तिनिकेतन स्थित विश्व-भारती विश्वविद्यालय का एक अंग है। गाँव वालों ने कई बार सरकार से इस चीज़ की शिकायत भी की थी कि उनके गाँव से बोलपुर की मण्डी जाने का कोई रास्ता नहीं है परन्तु सरकार ने इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया। अन्ततः निराश होकर गाँव वाले श्रीनिकेतन के अधिकारियों के पास पहुँचे। इन अधिकारियों ने उन्हें अपनी मदद खुद करने की सलाह दी। यह बात उन लोगों के लिए बिलकुल नई थी। काफी सोच-विचार के बाद सड़क बनाई गई। सड़क तैयार हुए अभी एक सप्ताह के लगभग हुआ था। खराब ऋतु होने पर भी सड़क अच्छी दिखाई दे रही थी।

थोड़े से अवकाश के पश्चात हमारा सफर फिर शुरू हुआ। हमारी बैलगाड़ी का कोचवान काफी चुस्त था, इसलिए लम्बे-लम्बे सींगों वाले बैल पूरी तरह उसके काबू में थे। हमें बेनूरिया गाँव जाना था जो श्रीनिकेतन से दो मील की दूरी पर है। इसलिए हमें उस गाँव में पहुँचने में अधिक देर नहीं लगी।

गाँव की सीमा पर पहुँचने पर मैंने इस बात का अनुभव किया कि दुनिया में सब जगह गाँवों और कस्बों के प्रवेश-पथ बहुत ही गन्दे होते हैं। यहाँ

भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ। गाँव के सिरे पर पहुँचने पर मैंने देखा कि हमारे सामने वर्षा के पानी की झील-सी बनी हुई थी । पहली बैलगाड़ी के कोचवान ने पानी की गहराई का अन्दाजा लगाए बिना अपने बैलों को पानी में हाँक दिया । देखते ही देखते वह बैलगाड़ी पानी और कीचड़ से भरी उस झील में गुम हो गई । हम बैलगाड़ी से उतर कर किसी तरह उस झील के पार पहुँच गए ।

हमारा छोटा-सा कारवाँ इस गाँव में एक विशेष उद्देश्य से आया था । बनूरिया गाँव से आधे मील की दूरी पर लोहगाड़ी नाम का एक गाँव है। इस गाँव के दो वासियों में झगड़ा हो गया था । हम लोग इस झगड़े में मध्यस्थ बन कर आए थे। बेनूरिया गाँव की जनसंख्या कुल ३०० है । हमें पहुँचते-पहुँचते काफी देर हो गई थी और अब दिन के साढ़े तीन बज चुके थे । हमारे देर से पहुँचने पर भी हमें मालूम हुआ कि मुद्दई अभी वहाँ नहीं पहुँचा था ।

जिस इमारत के बरामदे में हम सब जाकर ठहरे थे, उसमें एक ही जगह पर गाँव का डाकखाना, सहकारी डिस्पेन्सरी और ग्राम समिति का कार्यालय था । बैठने की किसी विशेष सुविधा के अभाव में हमें मूढ़ों पर ही बैठना पड़ा । गाँव के मुख्य-मुख्य लोगों से हमारा परिचय करवाया गया, इनमें से कुछ तो मुकदमे की कार्रवाई में भाग लेने के लिए आए हुए थे ।

चार बज गए थे, हम पहले ही देर से पहुँचे थे । मैं हैरान था कि मुकद्दमे की कार्रवाई अब क्यों नहीं शुरू की जाती । देर अधिक हो जाने के कारण कुछ लोग तो वापस भी लौट रहे थे । मैं समझता था कि गाँव में केवल हिन्दू रहते हैं लेकिन मालूम हुआ कि मुसलमान भी हैं जो नमाज़ पढ़ने गए हैं और उनके नमाज़ से लौटने पर ही मुकद्दमे की कार्रवाई शुरू की जा सकेगी ।

मैं इस अवकाश का सदुपयोग करने के ख्याल से गाँव की सहकारी डिस्पेन्सरी देखने लगा । डिस्पेन्सरी के इन्चार्ज थे डाक्टर सेन । उन्होंने मुझे अपने गिने-चुने डाक्टरी औजार और दवाइयाँ दिखाई । डाक्टर सेन ही ने मुझे बताया कि गाँव में मलेरिया और तपेदिक दो ऐसी बीमारियाँ हैं, जिनका उन्हें अक्सर सामना करना पड़ता है। मलेरिया से बचने के लिए तो गाँव के मकानों में डी० डी० टी० छिड़कवाई जाती और पैल्युड्रीन दी जाती थी । इससे गाँव वाले मलेरिया से बच जाते थे । पैल्यूड्रीन सस्ती भी है और आसानी से मिल भी जाती है । लेकिन तालाबों इत्यादि में डी० डी० टी० छिड़कवाना काफी महँगा पड़ता था, इसलिए यह गाँव वालों के बस की बात नहीं थी। गाँव में मलेरिया के जो भी केस होते थे, वे इन्हीं तालाबों आदि में पलने वाले मच्छरों के कारण होते थे । तपेदिक के मामले में डाक्टर सेन गाँव वालों को किसी प्रकार की सहायता नहीं दे पाते थे । कुछ लोग साँप के काटे का भी शिकार होते थे । गाँव में कुष्ट रोग भी तेज़ रफतार से बढ़ रहा था—इसका कारण भी डाक्टर सेन ने मुझे बताया । जब कुष्ट रोग शुरू होता है तो इसे दबाना सरल होता है परन्तु रोग के बढ़ जाने पर इसका इलाज मुश्किल और महंगा हो जाता है । गाँव वाले रोग शुरू होने पर तो परवाह करते नहीं, बढ़ जाने पर डाक्टर के पास आते हैं । डाक्टर सेन अपने सीमित साधनों से गाँव के मरीजों की पूरी सहायता करने के अतिरिक्त उन्हें आरोग्य सिद्धान्तों का भी ज्ञान करवाते हैं, जिससे गाँव के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है ।

उपरोक्त सहकारी डिस्पेंसरी की तरह श्रीनिकेतन ग्राम-कल्याण विभाग की सहायता से कई गाँवों में ग्राम स्वास्थ्य सहकारी संस्थाएँ बनाई गई हैं। इन संस्थाओं से प्राप्त होने वाली डाक्टरी सहायता के बदले गाँव के हर परिवार को ८-१० रुपए वार्षिक चन्दा देना पड़ता है। संस्था का डाक्टर उस परिवार का निःशुल्क इलाज करता है । अगर कोई परिवार इतना चन्दा नहीं दे पाता तो उसको इससे कम चन्दा देने पर भी सदस्य बना लिया जाता है। सदस्यों को बाज़ार से कम कीमत पर दवाई भी बेची जाती है । यह तरीका बहुत सफल हुआ है और ज्यों-ज्यों गाँव वाले इससे प्राप्त होने वाले लाभों को महसूस करने लगे हैं त्यों त्यों इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है ।

मुसलमानों के नमाज़ से लौटने पर मुकद्दमे की कार्रवाई शुरू हुई। घास पर कपड़े बिछा दिए गए और सब लोग उन पर बैठ गए। श्री राव और मुझे बैठने को मूढ़े दिए गए। जिस मामले का फैसला होना था वह इस प्रकार था ।

बेनूरिया गाँव से आधे मील की दूरी पर लोहगढ़ी में दो लड़के खेल रहे थे । खेलते-खेलते उन लड़कों में झगड़ा हो गया । मोती नाम का एक व्यक्ति उधर से गुज़र रहा था—उसने दोनों लड़कों में से बड़े को पीट डाला । इस पर उस बड़े लड़के की माँ भी वहाँ आ गई और उसने हस्तक्षेप

[शेष पृष्ठ ६ पर]

बहादुरपुर विकास खण्ड

सच्चिदानन्द त्रिपाठी

छबैला एक छोटा-सा ग्राम है जो सामुदायिक विकास-योजना के मुख्यालय के पास ही स्थित है। बस्ती अधिकांश ठाकुरों की है जिसमें हरिजनों की संख्या भी कम नहीं है। कृषि योग्य भूमि की कमी के कारण समस्त ठाकुर परिवार अपने हाथों खेती करते हैं और हरिजन परिवार उनकी सहायता कर दिया करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम पिछड़ा हुआ है, किन्तु जिज्ञासा के कण उसमें विद्यमान हैं। कोई दो बरस का समय हुआ, सामुदायिक विकास-योजना के कार्यकर्त्ता यहाँ आए और इसे ग्राम सेवा का मुख्यालय बना दिया। बढ़िया बीजों और कृषि यंत्रों का प्रचार और प्रसार बढ़ने लगा। ग्रामवासियों ने बीजों का लाभ देखा और उनमें उन बीजों के प्रयोगों के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी। आत्मविश्वास की भावना जगी और उन्हें अपनी भुजाओं पर विश्वास होने लगा। कृषि के साथ ही उन्होंने बागबानी में भी कदम बढ़ाया और अनेक वृक्ष आरोपित किए। सारे ग्राम के कूप आदर्श जल-कूपों में परिणत हो गए हैं और गलियाँ पक्की कर दी गई हैं। मार्गों पर लालटेनें लगाई जा रही हैं। गाँव में एक छोटी सहकारी संस्था भी बन गई है। ग्राम की नालियाँ पक्की हो गई हैं और सभी नालियाँ एक बड़ी नाली में मिला कर गाँव के बाहर

चरखा प्रदर्शन का जिलाधीश द्वारा निरीक्षण

बहादुरपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत बच्चों का एक बाग

गड्ढे में गिरा दी गई हैं। स्वच्छ जल की व्यवस्था के लिए पानी के दो नल भी लगाए जा चुके हैं।

कृषि के क्षेत्र में किसानों ने न केवल बढ़िया बीजों को अपनाया है बल्कि उनका प्रचार भी कर रहे हैं। सामुदायिक उद्यानों की धूम-सी मच गई है और जिस ग्राम में भी सार्वजनिक भूमि है वहां के ग्राम समाज अध्यक्ष ने एक उद्यान लगा लिया है। उसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर खाई बना दी गई है ताकि पशु उसे नष्ट न कर सकें।

शुद्ध जल की व्यवस्था इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी। कुएँ भूमि की सतह के बराबर और अधिकांश ग्रामों में उससे भी नीचे थे। परिणामस्वरूप बाहर का गन्दा पानी और खरपात कुएं में प्रविष्ट होकर रोग उत्पन्न करते थे। अनेक व्यक्ति भयंकर रोगों से पीड़ित रहते थे। गन्दे जल के इस्तेमाल से उत्पन्न होने वाले रोगों से मुक्ति पाने के लिए समस्त क्षेत्र में प्रायः तीन सौ आदर्श कुएँ खोदे गए और इतनी ही संख्या में हैन्ड पम्प भी लगाए गए। हरिजनों के लिए स्वच्छ घरों की व्यवस्था की गई है और स्थान-स्थान पर उनके स्वच्छ मकान बन चुके हैं।

कृषि जीवन न केवल बढ़िया बीज, कृषि यंत्र और स्वस्थ किसान पर ही निर्भर करता है अपितु बढ़िया पशुओं पर भी अवलम्बित होता है। अस्तु, पशुओं की वंश वृद्धि एवं सुधार की दृष्टि से उत्तम वंश के सांड छोड़े गए हैं। समय-समय पर पशु प्रदर्शनी की जाती है और सर्वोत्तम पशुओं को पुरस्कार भी दिया जाता है।

सिंचाई की व्यवस्था के लिए २५० पक्के कुओं और ११ नल-कूपों का निर्माण कराया गया है जिनकी गूलें पक्की की जा रही हैं और शीघ्र ही बिजली भी प्राप्त होने वाली है। इसके पूर्व किसान कुओं से ढेकुल द्वारा सिंचाई करते थे किन्तु अब उन्हें नल-कूप उपलब्ध हो जाएँगे।

शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रान्ति करने की चेष्टा की गई है और अब तक १७४ समाज शिक्षा केन्द्र चला कर ३४८ प्रौढ़ नरनारियों को साक्षर बनाया गया है। प्राइमरी तथा माध्यमिक विद्यालयों को भवन निर्माण हेतु सहायता दी गई

है। कई स्थानों में ग्रामीणों ने श्रमदान द्वारा प्राइमरी स्कूलों का निर्माण कर लिया है। बच्चों की शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए १ बालवाड़ी तथा ४ क्रीड़ाकेन्द्रों की स्थापना की गई है। गत १४ नवम्बर को बाल दिवस समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें ज़िले के भारत सेवक समाज के संगठन ने एक बाल पुस्तकालय का उद्‌घाटन किया था। इस उपलक्ष्य में एक सार्वजनिक सभा भी हुई थी जिसमें आबालवृद्ध ग्रामीणों ने भाग लिया था। महिलाएं भी इस कार्य में पीछे नहीं हैं। अभी हाल में ही उनका एक प्रशिक्षण शिविर हुआ था जिसका उद्‌घाटन ज़िले की महिला संगठन की अध्यक्षा ने किया था। ग्रामों में महिलाएँ नाटक और नृत्य का भी आयोजन करती हैं जिससे सर्वसाधारण का मनोरंजन भी होता है।

गाँवों के लोगों को अधिक व्यवसाय देने की दृष्टि से चरखा चलाने की शिक्षा दी गई। प्रायः ४०० चरखे इस समय काम में लाये जा रहे हैं और लगभग ४ मन सूत प्रति माह तैयार होता है। बहादुरपुर कभी अपनी रंगाई-छपाई के लिए प्रसिद्ध था किन्तु कालचक्र के प्रभाव से यह उद्योग नष्ट हो गया था। अब इसका पुनरुद्धार किया गया है और कारीगरों को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित किया गया है।

सामुदायिक विकास-योजनाओं का लक्ष्य न केवल विकास कार्यों को सम्पन्न करना है वरन् जनसाधारण में यह भाव भी उत्पन्न करना है कि वे अपनी सहायता आप करें। अस्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामीणों का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से दो ग्रामनेता शिविर चलाए गए हैं। इन शिविरों में एक सप्ताह तक ग्राम नेताओं को विकास के विभिन्न अंगों में प्रशिक्षित किया गया। परिणामस्वरूप जनता में आत्म-विश्वास की भावना बढ़ी है। आज इस खण्ड का ग्रामीण अपनी शक्ति पहचान चुका है।

पशु-प्रदर्शन में साहीवाल गाय का प्रदर्शन

ग्राम सेमिनार

वी० आर० रूथनम

यह कथन कि एक सामान्य भारतीय ग्रामीण प्रगतिशील विचारों को धीरे-धीरे ग्रहण करता है, तथ्यों पर आधारित नहीं है। अगर भारतीय किसान ट्रैक्टर से खेती नहीं करता तो इसका मुख्य कारण यह है कि ट्रैक्टर से खेती उसे महँगी पड़ती है और वह इतना पैसा नहीं लगा सकता। दूसरे, ट्रैक्टर भारतीय कृषि के लिए उपयुक्त भी नहीं हैं। किसान को इस कारण दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके विपरीत आप कृत्रिम उर्वरकों के प्रयोग और जापानी तरीके से बुआई करने के प्रश्नों को ही लीजिए। किसान बड़े चाव से नए तरीके अपना रहे हैं और इनकी लोकप्रियता निरन्तर बढ़ती जा रही है।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास-योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले सेमिनारों और वादविवादों में ग्रामवासी जो रुचि दिखा रहे हैं, वह भी इस कथन को गलत सिद्ध करती है। वादविवाद ग्राम्य जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग रहे हैं परन्तु अब तक उनको पंचायतों द्वारा सार्वजनिक और निजी झगड़ों के निपटारे के समय ही अपनाया गया है। यहां भी वादविवाद में हर पहलू पर जनतन्त्रीय ढंग से विचार नहीं होता था, बहस सिर्फ कानूनी होती थी और झगड़ों का फैसला भी विधिवत न होकर अटपटे ढंग से उपस्थित लोगों के मत लेकर किया जाता था।

कृषि के क्षेत्र में कृषि विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त कोई भी अन्य ऐसी एजेंसी नहीं थी, जो उनको परामर्श दे सकती। इन अफसरों का रवैया भी कुछ अंश तक शास्त्रीय और पूर्णतया नौकरशाही था। फलस्वरूप वे जनता में किसी प्रकार का उत्साह पैदा नहीं कर पाते थे। राष्ट्रीय विस्तार सेवा की स्थापना से गांवों के एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हो गई है। गांववालों को यह बात महसूस करते देर न लगी कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा एजेंसी उनका निर्देशन करने के लिए सदा तैयार रहती है और उन्हें जब भी जरूरत पड़े वे उससे सहायता ले सकते हैं।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा का आकर्षण इस बात से भी बढ़ गया है कि किसान अब महसूस करने लगे हैं कि वादविवाद और विचारों का आदान-प्रदान ही उनकी विभिन्न समस्याओं को स्थायी रूप से सुलझाने का पक्का उपाय है। अब उनको अपने संशय प्रकट करने में जरा भी डर नहीं लगता। उनके लिए यह बिलकुल नई बात है कि विस्तार सेवा के नवयुवक अफसर उनकी समस्याओं को हल करने के लिए अपने मनमाने हुक्म न देकर उनसे विचारों का आदान-प्रदान करके ही कुछ फैसला करते हैं।

एक तरह से यह कहना ठीक होगा कि ग्रामवासी ने अब खेती का जन्तन्त्रीकरण कर लिया है। अपने दिमाग में उठनेवाले प्रश्नों का हल पाने के लिए या अपने क्षेत्रों की समस्याओं का हल पाने के लिए वह खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आयोजित सभाओं में उपस्थित होने के लिए उतावला रहता है। विकास सेवा अधिकारियों द्वारा आयोजित सेमिनारों में वह अपूर्व रुचि लेता है।

मैसूर राज्य में एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड के विकास अधिकारी के व्यस्त कार्यालय में कुछ ग्रामवासी आए और पूछने लगे कि जिला सेमिनार कब होगा और उसमें कौन-कौन से व्यक्ति भाग लेंगे? गांववालों की यह बात सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई। ग्रामवासियों की भावना में इतना अधिक परिवर्तन हुआ है कि अब उनके हृदय में राष्ट्रीय विस्तार सेवा के प्रति विश्वास और स्नेह पैदा हो गया है।

इस खण्ड का दौरा करने पर मैंने महसूस किया कि अफसरों के नए रवैये में कितना परिवर्तन हुआ है। अन्य स्थानों की तरह इस खण्ड के गांवों के लोग भी समाज शिक्षा व्यवस्थापक और कृषि परामर्शदाता की बहुत इज्जत करते हैं। राष्ट्रीय विस्तार सेवा के इन नवयुवक अफसरों को वे सलाहकार मात्र न समझ कर अपने ऐसे पारिवारिक मित्र मानने लगे हैं जिनसे आरोग्य, धान की खेती और मुर्गी-पालन इत्यादि हर मामले पर सलाह ले सकते हैं।

इस खण्ड में मार्च के आरम्भ में एक सेमिनार हुआ था। खण्ड के ग्रामीण एक कमरे में इकट्ठे हुए और उन्होंने अफसरों के व्याख्यानों को बड़े ध्यान से सुना। व्याख्यान सुनने के पश्चात उन्होंने अपनी समस्याओं पर बुद्धि-पूर्वक विचार किया और अपने-अपने मत सफाई से पेश किए। इसके पश्चात खुद उन्होंने प्रस्ताव तैयार किए और पास करके अधिकारियों के पास भिजवा दिए। यह कहना बिलकुल गलत है कि गांववाले किसी मामले पर संयम और बुद्धिपूर्वक विचार नहीं कर सकते। मैसूर के विकास आयुक्त ने एक अन्य विकास खण्ड में ७ मार्च को एक सेमिनार का

उद्घाटन किया। उस सेमिनार ने यह साबित कर दिया कि पुरानी नौकरशाही का स्थान एक नई व्यवस्था ने ले लिया है। उसमें सरकारी रस्मोरिवाज को तिलान्जलि दे दी गई। गांव वालों ने और राष्ट्रीय विस्तार सेवा अधिकारियों ने विकास आयुक्त से अपनी समस्याओं के सम्बन्ध में अनौपचारिक ढंग से विचार-विमर्श किया।

राष्ट्र सेवा की भावना से प्रेरित हो शिक्षित नवयुवक उत्साहपूर्वक विस्तार सेवा कार्य में भाग ले रहे हैं। पहले जो नवयुवक गाँव के नाम ही से घबरा उठते थे अब वहाँ जाकर उत्साहपूर्वक काम कर रहे हैं और अपने ज्ञान का ग्रामवासियों में प्रचार कर रहे हैं। इस प्रकार नए भारत के निर्माण में वे अपना योग दे रहे हैं।

बंगाल के एक गाँव में जन-न्यायालय—[पृष्ठ ४ का शेषांश]

किया। मोती ने लड़के की माँ को कुछ ऐसी बातें कहीं, जिनको कोई भी सभ्य व्यक्ति नहीं कह सकता। लड़के के पिता को जब यह मालूम हुआ तो उसने मोती को एक कमरे में बन्द करके अपने दो मित्रों की सहायता से उसकी खूब पिटाई की। विवाद की बात मोती की पिटाई नहीं थी बल्कि यह थी कि मोती ने एक स्त्री के सामने अश्लील भाषा का प्रयोग किया। पीटे जाने पर मोती ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई परन्तु नवयुवक क्लब वालों ने उसे पुलिस के झमेले में न पड़कर श्रीनिकेतन वालों से फैसला करवाने की सलाह दी। गाँव के बड़े-बूढ़ों को ज्यूरी (मध्यस्थ परामर्शदाता) बनाया गया। समझाने-बुझाने पर मोती राजी हो गया और मामला श्रीनिकेतन वालों को सौंप दिया गया।

हमारा दल इसी सिलसिले में वहाँ पहुँचा था। प्रतिवादी तो वहाँ उपस्थित था परन्तु मोती अब भी अनुपस्थित था क्योंकि वह इस बात पर अड़ा हुआ था कि मुकद्मा बन्द कमरे में हो और किसी स्त्री को वहाँ रहने की आज्ञा न दी जाए। उसके पीछे आदमी दौड़ाया गया जो कुछ देर बाद उसे समझा-बुझा कर ले आया। अब वादी और प्रतिवादी दोनों दल उपस्थित थे—वादी और प्रतिवादी दोनों मुसलमान थे परन्तु श्रीनिकेतन से आया हुआ दल पूर्णतया हिन्दुओं का था। दोनों दलों ने गाँव के कुछ बड़े-बूढ़े मुसलमानों को परामर्शदाता के रूप में चुना।

आधे घंटे के सोच-विचार और वाद-विवाद के बाद यह फैसला किया गया कि मोती को पीटनेवाला व्यक्ति पाँच रुपए जुर्माने के रूप में ग्राम सहकारी स्वास्थ्य समिति को दे और मोती और वह आपस में सुलह कर लें। यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अगर वे लोग पुलिस में जाते तो सजा इससे कहीं कड़ी मिलती, अगर दोनों दल अपने अपने वकील करते, तो दोनों की कमर टूट जाती।

वादी और प्रतिवादी दोनों को वापस बुला कर फैसला सुना दिया गया। आरम्भ में तो दोनों इस बात पर अड़े रहे कि वे आपस में किसी शर्त पर नहीं बोलेंगे। परन्तु सब लोगों के समझाने पर यह हिचक मिट गई और दोनों एक दूसरे से गले मिले। इसके पश्चात दोनों साथ-साथ वहाँ से चले गए और उनके जाते ही उपस्थित व्यक्ति भी वहाँ से चले गए। अन्धेरा बढ़ रहा था और दिन की रोशनी के कुछ ही मिनट बाकी थे। इस दौरान हमने गाँव के लड़कों का वालीबाल मैच और एक फुटबाल मैच देखा।

बैलगाड़ियाँ तैयार थीं और हमारे सवार होते ही बैल हवा से बातें करने लगे—उन्हें भी मालूम था कि वे अपने घर वापस जा रहे हैं।

तीसरे वर्ष में हमने क्या किया ?

'विकास'

सामुदायिक विकास-योजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के तीसरे वर्ष के कार्य का मूल्यांकन करते हुए कार्य जाँच संगठन ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि पिछले तीन वर्षों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम से हुई भौतिक उन्नति से इतना लाभ नहीं हुआ, जितना इसके द्वारा अफसरों और जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन होने से हुआ है । प्रतिवेदन हाल ही में प्रकाशित हुआ है । इसमें बताया गया है कि जनता ने यह भली भांति दिखा दिया है कि वह अपनी उन्नति चाहती है और उपयोगी उपायों के लिए यथाशक्ति सहायता दे सकती है । योजनाओं द्वारा दिए गए अवसर का जनता ने स्वागत किया है और काफी मात्रा में निरन्तर सहयोग दिया है ।

कार्य जाँच संगठन का यह तीसरा प्रतिवेदन है । यह सामुदायिक विकास-योजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यों का समय-समय पर मूल्यांकन करता है ।

प्रतिवेदन में देश के विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक विकास-योजनाओं के कार्य का मूल्यांकन किया गया है । इसमें विकास-योजनाओं को कार्यान्वित करने के ढंग के बारे में कई बातें बताई गई हैं । विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय रखने, प्राविधिक विभागों को और मजबूत बनाने तथा ग्राम सेवक के कार्यों के बारे में उचित रूप से पुनर्विचार करने के सुझाव दिए गए हैं । प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि नई समाज व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पंचायतों के संगठन के स्वरूप में परिवर्तन करना आवश्यक है ।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से प्रगति नहीं हुई है । प्रतिवेदन में भविष्य के कार्यक्रमों की प्रगति के लिए तीन बातें आवश्यक बताई गई हैं—

(१) प्राविधिक विभागों को मजबूत बनाया जाए,
(२) लोकप्रिय संस्थाओं का विकास किया जाए,
(३) विस्तार सेवा, प्राविधिक विभागों और लोकप्रिय संस्थाओं के बीच कारगर समन्वय स्थापित करने के लिए उचित प्रशासनिक व्यवस्था की जाए ।

प्रतिवेदन में सुझाव दिया गया है कि ग्रामवासियों के उत्साह का पूरी तरह लाभ उठाने के लिए सुख-सुविधाओं की योजनाएँ चन्दे के आधार पर जारी रखनी चाहिएँ । राज्य से मिलने वाली सहायता में अब कुछ कमी की जा सकती है, क्योंकि गाँवों की जनता इन योजनाओं के लाभों को भलीभाँति समझती है और इन योजनाओं के लिए अधिक मात्रा में चन्दा दे सकती है । यह भी सुझाव दिया गया है कि सामुदायिक विकास योजना क्षेत्रों में ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, कि सभी गाँव इन कार्यक्रमों से लाभ उठा सकें और सुविधाओं का लाभ सभी को समान रूप से मिल सके ।

सामुदायिक विकास-योजनाओं की सफलता पर प्रकाश डालते हुए, प्रतिवेदन में कहा गया है कि अभी भरपूर विकास का सूत्रपात ही हुआ है । वास्तव में विकास की एक क्रमिक प्रक्रिया होती है । सुविधाओं की व्यवस्था होने से तथा जनता में विश्वास पैदा होने के कारण विकास कार्यों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो चुका है ।

यह भी कहा गया है कि यह बात अब सभी मानते हैं कि अधिक समय तक जारी रहने वाले सभी विकास कार्य को एक प्रतिनिधि संस्था जैसे पंचायतों द्वारा ही पूरा किया जा सकता है । अतः ऐसी संस्थाओं यानी पंचायतों को स्थापित करने और बढ़ावा देने का हरेक प्रयत्न करना चाहिए । लेकिन एक बात उल्लेखनीय है कि पुरानी परम्परागत पंचायतों से यह काम नहीं हो सकता । समाज व्यवस्था के बदलते हुए रूप के साथ, नई संस्थाएँ तभी प्रगति कर सकती हैं यदि वे नई सामाजिक व्यवस्था के साथ अपना मेल बैठा सकें ।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों पर दुहरा प्रशासन होने के कारण काम में बाधा पहुँचती है, अतः यह सिफारिश की गई है कि सभी प्राविधिक बातों में विभाग के विशेषज्ञ की राय अंतिम मानी जानी चाहिए ।

प्रतिवेदन में ग्राम सेवक के बारे में काफी समीक्षा की गई है । ग्राम सेवक का काम क्या हो, इसका भी फिर से उल्लेख होना आवश्यक है । प्रारम्भ में ग्राम सेवक जिस काम के लिए रखे गए थे, आजकल वे दूसरा ही काम कर रहे हैं । ग्राम सेवक के कार्यों में विभिन्न योजनाओं के अनुसार परिवर्तन होता रहता है । प्रतिवेदन में इस प्रयोग का विरोध किया गया है कि पंचायत के मन्त्री तथा ग्राम

[शेष पृष्ठ ३० पर]

समाजवाद का विकास

के० सन्तानम्

भारत का उद्देश्य स्पष्ट हो चुका है और मेरा विचार है कि वह अन्तिम और अटल रूप में स्पष्ट हो चुका है, अर्थात गणतंत्र राज्य के अधीन समाजवादी आर्थिकतंत्र का विकास। समाजवाद की मार्क्स ने जो व्याख्या की थी, अर्थात् श्रेणी-विहीन समाज और उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, वह इस उद्देश्य की दृष्टि से अब भी महत्वपूर्ण है। परन्तु, वह वर्ग-संघर्ष, एकाधिकार-सत्ता और मुआवज़ा दिये बगैर संपत्ति पर अधिकार कर लेने के विचारों से बहुत अधिक मेल खाता है, यहाँ तक कि भारत में समाजवाद के गणतंत्रीय विकास के लिए उनका प्रयोग नहीं हो सकता। इसलिए, हमें ऐसे सिद्धांतों की परिकल्पना करनी पड़ी, जिन्हें सर्व-साधारण आसानी से और स्पष्टतः समझ ले, और यह देख ले, कि हम अभीष्ट की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं।

मेरी समझ में इसके लिए चार बातें कसौटी का काम दे सकती हैं। हम जिस समाजवादी समाज की कल्पना करते हैं, उसका प्रथम कर्त्तव्य यह होना चाहिए कि वह प्रत्येक वयस्क पुरुष और स्त्री को, जो काम-धंधा करने में समर्थ है, कोई उपयोगी काम दे सके, और उसे उस काम से इतनी आय हो जाए कि वह अपना भरण-पोषण कर सके और अवकाश के समय में सांस्कृतिक मनोरंजन कर सके। दूसरे, प्रत्येक बालक और युवक को अपनी स्वाभाविक योग्यता और गुणों को विकसित करने का अधिक से अधिक और पूरा-पूरा अवसर मिलना चाहिए। तीसरे, असमर्थता और कष्ट से राहत पाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए, चाहे यह असमर्थता वृद्धावस्था के कारण आए, या रोग से या किसी और कारण से। अंत में कानूनी, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समता की ओर अग्रसर होना चाहिए।

आइए, इनमें से प्रत्येक पर पृथक-पृथक विचार करें। प्रत्येक आर्थिक प्रणाली का, चाहे वह पूंजीवादी हो या सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट, सभी वयस्कों को रोज़गार देना प्रथम ध्येय है। पूंजीवाद इस बात पर ज़ोर देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह पूर्ण अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी पसंद का धंधा करे। वह इस उद्देश्य के लिए थोड़ी-बहुत बेरोज़गारी की गुंजाइश को क्षम्य समझता है। इसके विपरीत, कम्युनिज्म में व्यक्ति के लिए यह गुंजाइश नहीं है कि वह अपनी पसंद का धंधा करे। हां, आरम्भ में, काम सीखते समय उसे यह चुनाव करने की स्वतंत्रता दी जाती है कि वह क्या धंधा सीखे। दूसरे, कम्युनिज्म किसी व्यक्ति की बेकारी को सहन नहीं करता, क्योंकि इस अर्थप्रणाली का यह सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति का बेकार रहना आर्थिक हानि है। अतः वहाँ अनिवार्यतः प्रत्येक व्यक्ति को काम करना ही पड़ता है। सोशलिस्ट अर्थ-प्रणाली इन दोनों के बीच का मार्ग है। अपनी पसंद का धंधा करने की स्वतंत्रता को वहाँ मौलिक अधिकार माना गया है। इस अर्थ-प्रणाली का ध्येय यह है कि राज्यसत्ता को ऐसे अधिकार हों, और उसके पास ऐसे साधन भी हों कि वह प्रत्येक व्यक्ति को बेकारी का भत्ता देने की बजाय, ऐसा काम दे जो समाज के लिए उपयोगी हो।

भारत में काम और पारिश्रमिक का प्रश्न बड़ा जटिल है। यहाँ, विशेषतः देहात में, प्रधान समस्या पूर्ण बेकारी की नहीं, वरन मौसमी बेकारी की है। भारत में खेती-बाड़ी के धंधे की वर्तमान रूपरेखा को बदल कर सामूहिक रूप में रूपान्तरित कर दिया जाय, या किसानों को छोटे-छोटे खेतों में, जैसा अब है, काम करने दिया जाए और उन्हें फुर्सत के समय काम करने के लिए घरेलू धंधे दिये जाएँ, ताकि वे अपनी आय बढ़ा सकें। यह एक अलग समस्या है और इस पर अभी तक पर्याप्त विचार नहीं किया गया है। आज तो भारत के प्रायः सारे राज्य ज़मींदारियाँ खत्म करने, प्रत्येक किसान को थोड़ी बहुत ज़मीन दे कर उसे उसका स्वामी बनाने और खेती-बाड़ी के आधुनिकतम उपकरणों, यथा ट्रैक्टरों, रासायनिक खाद आदि के व्यवहार के लिए अधिक से अधिक प्रचार करने के काम में जुटे हैं। इन कामों या उद्देश्यों के मध्य जो मानसिक, आर्थिक या संगठन संबंधी अन्तर है, अभी वह दूर नहीं हो सका है। यदि इस अन्तर को शीघ्र ही दूर न किया गया तो मुझे आशंका है कि फिर या तो गतिरोध होगा या संघर्ष।

यही बात बड़े-बड़े और घरेलू धंधों के विस्तार संबंधी विवाद के बारे में भी सही है। अभी तो हम इस दुविधा में हैं कि हम इन दोनों में से किसे अपनाएँ, या दोनों को एक ही साथ पनपने दें। परन्तु वस्त्र, चावल और तेल निकालने के धंधों में हमें पहले ही टकराव नज़र आ रहा है। यह चाहे कितना ही कठिन हो, किंतु बड़े धंधों और घरेलू धंधों में साथ-साथ पनपने के साधनों पर जितना स्पष्ट और ठीक विचार कर लिया जाए, हमारे आर्थिक विकास के लिए उतना ही अच्छा है।

बड़े और छोटे धंधों में संभावित टकराव तथा संघर्ष को निपटाने के लिए सदा यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत का समाजवादी समाज यह सहन नहीं कर सकेगा कि आर्थिक श्रेणियाँ इस तरह परस्पर टकराती रहें। उदाहरणार्थ, यदि किसी बड़े धंधे में काम करने वाले को एक सौ रुपया मासिक मिले और छोटे धंधे में काम करने वाले को ३० रुपया ही मासिक मिले, तो फिर वहाँ समाजवादी समाज नहीं रहेगा। उस स्थिति में घरेलू धंधों को इतनी सहायता भी नहीं दी जा सकेगी कि वह भी बड़े धंधों की तरह अपने मजदूर को उतना ही वेतन दे सकें। इसका समाधान यही दिखाई देता है कि विशेष रूप से उन्नत घरेलू धंधों को छोड़ कर, लोगों को पूरे समय के लिए काम देने के वास्ते साधारण घरेलू धंधों का आश्रय छोड़ दिया जाए और उनकी जगह ऐसे घरेलू धंधे चलाये जाएं, जो बिजली द्वारा चलें, और इस तरह, लोग खेती बाड़ी करते हुए इन्हें भी आय का साधन बनाएं।

दूसरी बात है प्रत्येक बालक और युवक के विकास की। मेरे विचार में इस ध्येय की प्राप्ति के लिए विश्वविद्यालय तक की पढ़ाई बिलकुल मुफ्त होनी चाहिए। मुफ्त शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि विद्यार्थियों से किसी प्रकार की फीस न ली जाए और उन्हें इतना कुछ दिया जाए कि वे अपने माता-पिता पर बोझ न रहें।

यह बात जितनी असंभव दिखाई देती है, उतनी असंभव है नहीं। यह बात तो सिद्धांत रूप से मान ली गई है कि स्कूल-शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। शिक्षा के अन्य स्तरों को निःशुल्क बनाने के लिए मेरा सुझाव यह है कि जिन्होंने उच्च स्तर पर शिक्षा प्राप्त की है, वे अपने वेतनों में कटौती करा कर इस काम में सहायता दें। इस तरह, जिन लोगों ने मैट्रिक से ऊँची शिक्षा पाई है, यदि उनके वेतनों या आय में १० प्रति सैकड़ा कटौती भी कर ली जाए तो काम चल सकता है। ऐसी दशा में, उच्च स्तर की शिक्षा के लिए छात्रों का चुनाव उनकी योग्यता के आधार पर होना चाहिए।

अब लीजिए तीसरी बात—वृद्धावस्था तथा रोगजनित स्थिति के बारे में। समाजवादी समाज के लिए इन दोनों दशाओं में सहायता देने का प्रबन्ध करना आवश्यक है। दुःख की बात है कि भारत में इस समस्या पर अभी तक विचार भी नहीं किया गया। मैंने विंध्य प्रदेश में दौरा करते समय ऐसे वृद्ध देखे हैं, जो वस्तुतः भूखों मरते हैं। उनके भरण-पोषण की व्यवस्था किए बिना हम यह कैसे कह सकते हैं कि हम समाजवादी समाज की रचना कर रहे हैं। यह कहना कि हम यह काम सुदूर भविष्य में तब करेंगे, जब काफी सम्पन्न और समृद्ध हो जाएँगे, मेरी समझ में घातक भूल है। इन पीड़ित और उपेक्षित व्यक्तियों की मौजूदगी समाज-योजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार केन्द्रों से प्राप्त हुए लाभों को नगण्य सिद्ध कर रही है। बेहतर बीज और खेती-बाड़ी के आधुनिक उपकरण जुटा कर यदि एक सौ परिवारों को सुखी बनाया गया हो, और वृद्धों के आंसू पोंछने का यत्न न किया गया हो तो यह अधिक शोचनीय, लज्जाजनक और दुखदायी बात है।

आखिर, श्रीगणेश करने में कठिनाई क्या है? बुढ़ापे की पेन्शन देने का अर्थ यही तो है कि हम वर्तमान राष्ट्रीय आय का बंटवारा कर रहे हैं। हम श्रीगणेश ऐसे वृद्ध किसानों से कर सकते हैं, जिनके बुढ़ापे का अब कोई सहारा नहीं है, और जो अपनी वृद्धावस्था के कारण कमाने-खाने में असमर्थ हो गए हैं। इसके बाद किसी प्रकार की बीमा-योजना द्वारा छोटे किसान परिवारों के लिए भी ऐसी सुविधा का प्रबन्ध किया जा सकता है। जहाँ तक उद्योग-धंधों में लगे व्यक्तियों का सम्बन्ध है, उनके लिए प्रावीडेंट फण्ड की सुविधा मौजूद ही है।

अब मैं चौथी बात पर आता हूँ। इस पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। हमने कानूनी और राजनीतिक समता स्थापित कर ली है। जाति और धर्म पर आश्रित सभी प्रतिबन्ध हटा दिए गए हैं। उत्तरोत्तर बढ़ते हुए आय-कर, अधिक कर, मृत्यु-कर, लगा कर तथा अधिकतम और न्यूनतम वेतन निश्चित करके हम आर्थिक समता की ओर बढ़ रहे हैं। अभी इस काम में अधिक प्रगति करने की आवश्यकता है।

इन चारों बातों को ध्यान में रख कर सारे भारत, प्रत्येक राज्य और हर ज़िले की वार्षिक जाँच की जाए और देखा जाए कि हम अपने उद्देश्य में कहाँ तक आगे बढ़े हैं। इससे हमें अपनी त्रुटियों का पता चलेगा, हम उन्हें दूर करने का यत्न करेंगे और इस तरह उन्नति की ओर अग्रसर होंगे।

●

जो महाराजा न कर सका

"यह सब कहने की बातें हैं, सिर्फ सब्ज़ बाग हैं। भला जो कुछ हमारा शक्तिशाली राजा और उसकी सरकार न कर सकी, यह गिने-चुने लोग केवल अपने बाहुबल से किस तरह कर सकते हैं ? काम भी तो देखो, कौन कह सकता है कि यह खतम हो जाएगा"—गाँव के सत्तर वर्षीय बूढ़े ने मुँह बिचकाते हुए कहा। राजाओं और प्रशासकों की तीन पीढ़ियों को वह देख चुका था। पंचायत के सामने जब यह प्रस्ताव आया कि लोग श्रमदान से गाँव का प्रवेश मार्ग बनाएँ, तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उपरोक्त उत्तर दिया।

ब्राह्मणपुर, राजपुर योजना-क्षेत्र का एक गाँव है और नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। किसी ज़माने में यह गाँव काफी समृद्ध माना जाता था। गाँव की काली मिट्टी में रुई की अच्छी खेती होती है। गाँव में बसने वाले एक हज़ार लोगों में अधिकतर खेतिहर या उनके आश्रित ही हैं। प्रधान सड़क गाँव से तीन मील के फ़ासले पर थी और उस सड़क से गाँव तक पहुँचने का कोई साधन नहीं था। एक ऊबड़-खाबड़ रास्ता था—रास्ते में जगह-जगह झाड़ियाँ और गड्ढे थे। एक छोटी नदी गाँव को उस रास्ते से अलग करती थी। बरसात के चार महीने तो गाँव वालों का बाहरी दुनिया से कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता था—एक तरफ नर्मदा नदी और दूसरी तरफ उस छोटी नदी में लबालब पानी भर जाता, जिसको पार करना लगभग असम्भव ही होता था। बाकी महीनों में भी रास्ते के गड्ढों के कारण, जीप गाँव तक नहीं पहुँच सकती थी। इस कारण गाँव का कृषि उत्पादन आसानी से गाँव से बाहर न निकल पाता था। इस कारण जीवन का सन्देश भी उन तक पहुँचना प्रायः असम्भव रहता था। तीन मील लम्बा प्रवेश मार्ग और एक छोटा पुल, गाँव वालों के लिए अत्यन्त आवश्यक थे। महाराजा और उसका प्रशासन इस काम में इस लिए हाथ नहीं डालता था क्योंकि इसमें काफी रुपया खर्च होता। इस सड़क के अभाव में गाँव की अर्थ-व्यवस्था ही चौपट हुई जाती थी। जब उस क्षेत्र में सामुदायिक विकास योजना की शुरूआत हुई तो यह समस्या सजीव हो उठी। पहले पहल तो लोग मानते ही नहीं थे कि सरकार सड़क बनवाएगी—खुद मिलकर बनाने की बात तो उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोची थी। लेकिन गाँव के नवयुवकों ने इस प्रकार सोचना शुरू कर दिया था। वे लोग रोज़ कुछ फ़ैसले करते और फिर उन्हें रद्द कर देते। योजना-क्षेत्र कर्मचारी रह-रह कर उन्हें इस बात का आश्वासन देते कि उनके दृढ़ संकल्प और श्रम से यह काम पूरा किया जा सकता है। एक रोज़ गाँव के ३०० नवयुवकों ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए कि जब तक आवश्यकता पड़ेगी, वे चार घंटे रोज़ श्रमदान करने को तैयार हैं। ग्राम पंचायत ने समीपवर्ती १० पुरवों से भी श्रमदान के लिए लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया—इन पुरवों को भी इस प्रवेश मार्ग के बन जाने से बहुत लाभ पहुँचने की सम्भावना थी। इस प्रकार पूरी योजना तैयार की गई और औज़ार इकट्ठे कर लिए गए। सड़क के मानचित्र का प्रश्न आया तो पहली कठिनाई का सामना करना पड़ा। पहला रास्ता तंग था—उस रास्ते को चौड़ा करने के लिए तीन मील के फ़ासले तक दोनों ओर अधिक भूमि की आवश्यकता थी। रास्ते से लगती हुई दोनों तरफ की भूमि उपजाऊ थी। गाँव के राजस्व नक़्शे का अध्ययन करने पर मालूम हुआ कि काफी भू-खण्डों पर किसानों ने कब्ज़ा कर लिया है जिनको कानूनी तौर पर हासिल करने में देर भी

लगेगी और झगड़ा भी होने की सम्भावना थी। गाँव की सभा में इस समस्या पर विचार किया गया। गाँव के सबसे समृद्ध किसान ने सबसे पहले भूमि दे दी। उसकी देखादेखी एक हरिजन, एक मुसलमान और एक विधवा ने भी रास्ते में पड़ने वाली भूमि सड़क के लिए दे दी। पांचवाँ व्यक्ति भी, जो काफ़ी दरिद्र किसान था, राज़ी हो गया। परन्तु एक ज़िद्दी बूढ़ा अड़ गया और उसने भूमि छोड़ने से इंकार कर दिया। काफ़ी गर्मागर्मी हुई परन्तु वह बूढ़ा टस से मस न हुआ। जिन नवयुवकों ने काम पूरा करने की कसम खाई थी, उन्होंने पंचायत से विरोध की चिन्ता न करते हुए काम शुरू करने को कहा। उन लोगों में एक नया जोश था—वे गाँव को नया जीवन देना चाहते थे, गाँव का नक्शा ही बदल देना चाहते थे और इस शुभ काम से उन्हें कोई भी रुकावट नहीं रोक सकती थी। कुछ बड़े-बूढ़ों ने उस ज़िद्दी बूढ़े को समझाने की ज़िम्मेदारी ली और इस तरह अगले रोज़ बसन्त पंचमी के दिन काम शुरू करने का फ़ैसला किया गया।

लगभग सभी लोगों के दिल में यह ख्याल था कि नया-नया जोश एक सप्ताह में खतम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और काम चलता रहा। पहले मील का काम सबसे कठिन था। जब एक महीने के अन्दर भूमि की खुदाई का काम समाप्त हो गया तो समीपवर्ती गाँवों से भी सहयोग प्राप्त होने लगा। ग्राम पंचायत ने इस काम में पूरा सहयोग दिया। पंचायत के सदस्य अपना पूरा वक्त काम की देख-भाल में खर्च करते ताकि काम में कुछ रुकावट न पड़े। आवश्यक कागज़-पत्र सब सड़क पर पहुँच जाते थे ताकि ज़रूरत पड़ने पर सड़क पर ही पंचायत की बैठक हो सके। पंचायत की कई बैठकें सड़क पर ही हुईं और इन बैठकों में लगभग सभी सदस्य उपस्थित होते थे। हर व्यक्ति के उत्साह और सहयोग को देखकर उस ज़िद्दी बूढ़े को भी अक्ल ठिकाने आ गई। एक रोज़ गाँव वालों ने देखा कि वह बूढ़ा व्यक्ति अपने परिवार वालों के साथ मिलकर सड़क के किनारे की भूमि साफ़ कर रहा था। अब तो रास्ता बिलकुल साफ़ था। ६ महीने के निरन्तर परिश्रम के बाद तीन मील लम्बी सड़क की खुदाई का काम समाप्त हो गया। अब केवल उस पर बजरी आदि बिछाने का काम रह गया था।

उसी वर्ष दशहरे के दिन सड़क पक्की हो चुकी थी और पुल भी बन चुका था। गाँव वाले खुशी से पागल थे और सजी हुई बैल गाड़ियों का कारवाँ पहले-पहल उस सड़क से गुज़र रहा था। उन बैल गाड़ियों में बैठे हुए गाँव वालों की खुशी का ठिकाना न था। कारवाँ जब वापस गाँव लौटा तो गाँव की स्त्रियों ने उसका स्वागत किया। गाँव का बच्चा-बच्चा खुश नजर आ रहा था।

अब गाँव तक बसें आती-जाती हैं। गाँव से खाद्यान्न के ट्रक भर-भर कर बाहर जाते हैं और बाहर से रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें गाँव में आती हैं। अखबार और पुस्तकों ने भी अब गाँव का रास्ता देख लिया है। गाँववाले अब ज़रूरत पड़ने पर आसानी से बाहर आ-जा सकते हैं। गाँव में बाहर से आनेवाले लोगों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। सारांश यह है कि इस प्रवेश मार्ग के बन जाने से गाँव को नया जीवन मिला है।

वह सत्तर वर्षीय बूढ़ा बाहु-बल की अविश्वासनीय शक्ति को देखने के लिए आज भी ज़िन्दा है। काम समाप्त हो जाने पर योजना-क्षेत्र इंजीनियर ने इसके बारे में लिखा—

कुल लागत ८५,००० रुपए
सरकारी अनुदान ४१,००० रुपए
जनता का योगदान ८४,००० रुपए

बेंतकी टोकरियाँ बनाना पंजाब का एक महत्व-पूर्ण कुटीर उद्योग है

दस्तकारियाँ और कुटीर उद्योग

दो होनहार दस्तकार ! एक बेंत की टोकरियाँ बना रहा है,दूसरा चिल-मन बनाने में व्यस्त है

कुशल उस्ताद की देख-रेख में नन्हें दस्तकार शीघ्र ही अपने फ़न के उस्ताद बन जाएँगे

एक गाँव में लड़कियों द्वारा कढ़ाई का प्रदर्शन

शिरालकोप्पा सामुदायिक विकास-योजना के अन्तर्गत कटाई का प्रशिक्षण

इन ग्रामीण लड़कियों
औ

ये लड़कियाँ कढ़ाई द्वारा

यिक विकास-योजना के दर्ज़ी ने कमीज़ें
सीना सिखाया है

ार की आय बढ़ा रही हैं

महिलाओं का एक सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र

सोनीपत विकास-योजना केन्द्र में सीने और कताई सिखाने का केन्द्र

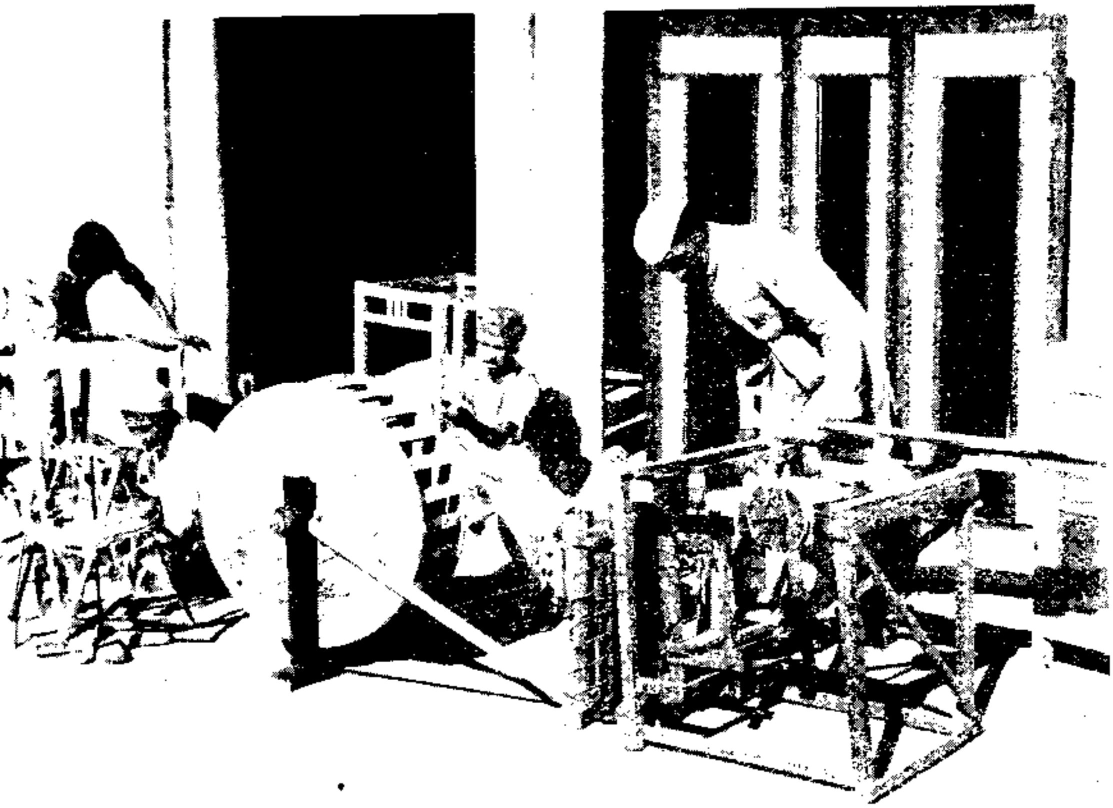

विकास खण्डों के दस्तकारी प्रशिक्षण केन्द्रों में अनेक दस्त-कारियाँ सिखाई जाती हैं

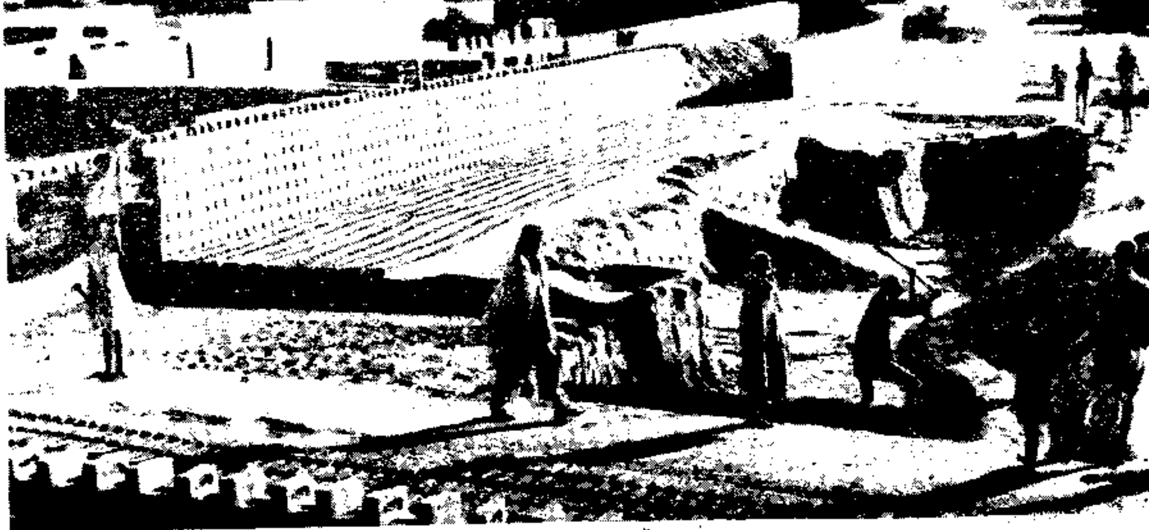

सहकारिता के आधार पर आयोजित इस भट्टे से नए घरों, स्कूलों और सामुदायिक केन्द्रों के लिए ईंटें सुलभ हो जाती हैं

गाँव का विकास

महेन्द्रकुमार मुकुल

पात्र परिचय

मुलुआ ...... गाँव का निर्धन पटेल
केशरिया...... मुलुआ की पत्नी
दुलीचन्द...... शहर का एक सेठ
जानकी वल्लभ..... ग्राम उद्योग समिति के अध्यक्ष, कर्मठ नेता
मोहन...............एक शिक्षित नवयुवक
हरिया, प्यारे, देवी, घन्नू, सुमेरा आदि अन्य ग्रामीण।

(मुलुआ का घर ! घास-फूँस की एक झोंपड़ी। झोंपड़ी के सामने का द्वार खुला है। झोंपड़ी की दाएँ ओर की दीवार से सटा हुआ एक हल रखा है। द्वार के सम्मुख नीम का एक पेड़ है। नीम की घनी शाखाओं से सम्पूर्ण चौक आच्छादित है। गाँव के किसान फुर्सत के समय यहाँ आकर बैठते हैं। चौक में आने का रास्ता झोंपड़ी की बगल से है। नीम की छाया में टूटी-सी एक चारपाई पड़ी है। चारपाई पर मुलुआ बैठा हुक्का पी रहा है। सहसा घास का एक गट्ठर सिर पर रखे हुए उसकी पत्नी गली से प्रवेश करती है। घास के गट्ठर को दीवार के सहारे पटक कर रख देती है। फिर क्रोध के वेग में वह अपने पति पर झल्लाती है)

केशरिया—(झल्लाते हुए) अब दिन भर हुक्का गुड़गुड़ाने से कोई काम नहीं चलेगा। बैसाख का महीना हाथों की उँगलियाँ गिनते बीत गया। आषाढ़ में बिटिया का ब्याह करना है, कुछ उसका भी ख्याल है या नहीं ?

मुलुआ—(हुक्का गुड़गुड़ाने के बाद) अरी ओ भागवान ! क्यों बक-बक लगा रखी है। जहाँ जाता हूँ वहीं मुँह फाड़ कर रुपए माँगते हैं। कभी-कभी तो जी में ऐसा आता है कि अपने हाथों से रतनी का गला घोंट दूँ।

केशरिया—(सिर पर पल्लू खींचते हुए) जिस रतनी को पाल-पोस कर इतना बड़ा किया उसे अब मारना चाहते हो। तुम बिटिया का ब्याह नहीं कर सकते तो मना कर दो। मैं अपने मायके में जाकर भाइयों से हाथ पीले करा दूँगी।

मुलुआ—(हुक्का जमीन पर रखकर) देख केशरिया तू अपने भाइयों का नाम मेरे सामने न लिया कर। मुझे उनका नाम सुनकर गुस्सा आता है। बड़ी बिटिया

के ब्याह में तेरे भाई भात में कुल पाँच रुपए लाए थे।

केशरिया--तब वे गरीब थे।

मुलुआ—अब मालदार कहाँ के बन गए। अब भी बारह महीने बाजरा भसकते हैं।

केशरिया--(**अकड़कर**) अब मेरे मायके में बाजरा नाम मात्र को खाया जाता है। सब लोग गेहूँ और चावल खाते हैं। कुछ पता भी है। गाँव में एक ताल खुद गया है। नहर निकल गई है जिससे गेहूँ और चावल खूब होता है। तुम्हारा जैसा गाँव थोड़ी है जिसमें कुल तीन कुएँ और एक सूखा ताल है।

मुलुआ--तू अपने मायके का ताना क्या देती है, किसी दिन हमारे गाँव के भी दिन फिरेंगे।

केशरिया--(**हाथ मटका कर**) गाँव के दिन तो फिरेंगे पीछे पहले अपने घर की सोचो। घर में सियानी बिटिया ब्याह के लिए बैठी है। सारा गाँव मुझे ताने देता है, टोकता है, और कहता है कि रतनी के संग की लड़कियों का ब्याह हो गया। लेकिन पटेल की बिटिया घर में ही बैठी बूढ़ी हुई जा रही है।

मुलुआ—केशरिया यह तो दुनिया है। तू किस किस का मुँह पकड़ेगी। पिछले ब्याह के रुपए तो अभी तक पटे नहीं हैं। अब तू ही बता दहेज के लिए दो हजार का करज कहाँ से लाऊँ। सेठ दुलीचन्द रुपए पर एक आना ब्याज माँगता है।

केशरिया--मैं कब कहती हूँ कि तुम दो हजार रुपए ब्याह में खर्च करो। अमीर नहीं तो गरीब का घर ढूँढ़ लो।

मुलुआ--तू तो बात-बात पर काटने को दौड़ती है। कुछ समझती-बूझती है नहीं। तू तो यह समझे बैठी है कि जैसे मैं रतनी का ब्याह ही नहीं करूँगा। रतनी का ब्याह होगा लेकिन पूरे दो हजार खर्च होंगे।

केशरिया—(**भौंचक्की-सी रहकर**) दो हजार रुपए! ब्याह में खर्च होंगे?

मुलुआ--हाँ, ब्याह में खर्च होंगे।

केशरिया—इतने!

मुलुआ--हाँ!

केशरिया--क्यों?

मुलुआ--अब मैं गाँव का पटेल जो बन गया हूँ। मेरा रुतबा और ओहदा बढ़ गया है। आखिरी ब्याह है, सारे गाँव को न्योता देना पड़ेगा। दुनिया समझती है कि मुलुआ मालदार है। लेकिन कोई यह नहीं जानता कि उस पर करज कितना चढ़ा है। सेठ दुलीचन्द घर पर हर चौथे दिन चक्कर लगाते हैं।

(सहसा सेठ दुलीचन्द का गली से प्रवेश। सेठ को आता देखकर मुलुआ श्रद्धा से खड़ा होकर हाथ जोड़ता है। केशरिया घूंघट से खुला चेहरा ढाँककर झोंपड़ी में चली जाती है)

मुलुआ--(**दोनों हाथ जोड़कर**) आइए सेठ जी! यहाँ खाट पर बैठिए।

दुलीचन्द--(**चारपाई पर बैठते हुए**) मुलुआ कान खोल कर सुन ले, आज तूने रुपए नहीं चुकाए तो मुझसे बुरा कोई न होगा। हाँ, घर को नीलाम करा दूँगा।

मुलुआ--(**गिड़गिड़ाते स्वर म**) दया करो सेठ जी, दया! गाँव में कुड़की की डोंडी पिटते ही मेरी नाक कट जाएगी। पटेली पर बट्टा लग जावेगा। आषाढ़ में मुझे बिटिया का ब्याह करना है। घर कुड़की होते ही मेरी बिटिया को कोई ब्याहेगा भी नहीं। बस सात-आठ महीने की मोहलत और दे दो। मैं मेहनत मजदूरी करके आपको कौड़ी-कौड़ी चुका दूँगा।

दुलीचन्द--(**अकड़ते हुए**) आज मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनूँगा। साल भर हो गया लेकिन अभी तक तूने एक फूटी कौड़ी भी नहीं चुकाई। मूल तो मूल ब्याज भी नहीं दिया है।

मुलुआ--सेठ जी आप विश्वास रखो मैं आपकी कौड़ी-कौड़ी चुका दूँगा! ब्याज की एक पाई भी न रखूँगा!

दुलीचन्द--(**उठते हुए**) अच्छा इस बार तो मैं तुझे छोड़े देता हूँ। अगर आठ महीने के बाद तूने रुपए न चुकाए तो कान खोलकर सुनले, सारी जायदाद नीलाम करा दूँगा।

(सेठ का प्रस्थान। उनके जाते ही गाँव के दो किसान हरिया और प्यारे गली से प्रवेश करते हैं। मुलुआ चारपाई की एक पाटी पर अपना दायाँ हाथ रखे सर लटकाए बैठा है)

हरिया—दद्दू आज किस सोच में बैठे हो?

मुलुआ--(**उदास भाव में**) मैं सोच रहा हूँ कि जिन लोगों को रोज ही कुआँ खोदकर प्यास बुझानी है क्या उनकी भी कोई ज़िन्दगी में ज़िन्दगी है।

प्यारे--ठीक कहते हो दद्दू।

मुलुआ—रतनी चौदह बरस की हो गई। गाँव-गाँव सगाई के लिए फिरा। पर हाय रे ज़माने अब तो दहेज की दीवार इतनी ऊँची उठ गई है कि गरीब तो उस पर चढ़ नहीं सकता।

हरिया—कुछ मत कहो दद्दू! जिधर देखो उधर सभी लड़के वाले मुँह फाड़कर रुपए माँगते हैं।

मुलुआ—कल रामपुरा गया था। चौधरी के पैरों पर अपना साफ़ा रखकर हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाया। लेकिन सगाई नहीं ली। लड़के के ब्याह में पूरे दो हजार का दहेज माँगते हैं। अब तुम्हीं बताओ मैं इतना रुपया कहाँ से लाऊँ ? पिछले ब्याह का करज तो अभी तक पटा नहीं। अब किसके आगे करज के लिए हाथ पसारूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारा जीवन करज के भार से ही दबा रहेगा।

प्यारे—ऐसा क्यों सोचते हो दद्दू ? जिसने चोंच दी है वह चुगा भी देगा।

मुलुआ—अब इस पुरानी कहावत से काम नहीं चलेगा। मैं तो कल शहर को जाता हूँ। कहीं नौकरी ढूँढूँगा। आषाढ़ में नहीं तो अब की जाड़े तक बिटिया के हाथ पीले कर दूँगा।

(सहसा देवी का प्रवेश ! उसके सिर पर एक फर्स रखा है। नीम की बगल में फर्स पटक कर वह जमीन पर बैठ जाता है)

देवी—कुछ सुना दद्दू।

मुलुआ—नहीं रे देवी ! बता क्या बात है ?

देवी—मोहन भइया के घर खादी की पोशाक पहने एक नेता आया है। मुझे तो उसकी बातें सुनकर हँसी आ गई।

हरिया—उसने हँसी की ऐसी कौनसी बात कही है ?

प्यारे—(बीच में ही) वोट माँगता होगा। बड़े-बड़े वायदे करता होगा। भइया हमने इन्हें बहुत देखा। इन्होंने अपना एक भी वायदा पूरा नहीं किया।

देवी—प्यारे भइया वह वोट नहीं माँगता ! वह तो......।

प्यारे—(पुनः बात काटकर) तो चंदा माँगता होगा।

देवी—पहले सुन तो लो भइया। वह कहता है कि घर बैठे रुपए कमाओ !

प्यारे—देवी तो वह नेता नहीं होगा। शहर का कोई जादूगर या पक्का ठग होगा।

देवी—अच्छा छोड़ो इन बातों को पहले फर्स बिछाओ।

हरिया—क्यों ?

देवी—सभा होगी। मोहन भइया ने सारे गाँव में सभा का बुलावा भिजवा दिया है। अब सब लोग आते ही होंगे।

मुलुआ—तो जल्दी करो जल्दी। मोहन भइया के घर कभी कोई खराब आदमी नहीं आ सकता। पिछले महीने में हरिजन मंत्री आए थे ! कितनी बड़ी सभा हुई थी। यह फर्स भी सभा के लिए वहीं शहर से खरीद कर लाया है।

प्यारे—अब तो फर्स ग्राम पंचायत का है।

मुलुआ—उसने पंचायत को दान में दे दिया है।

(सब मिलकर फर्स बिछाते हैं। मुलुआ अपने घर से एक दरी ले आता है। फिर उसे चारपाई पर बिछा देता है। कुछ क्षण बाद गांव के किसान फर्स पर आकर बैठने लगते हैं। कुछ प्रतीक्षा के पश्चात मोहन के साथ ग्राम उद्योग समिति के नेता जानकी वल्लभ सभा में आते हैं। उनके हाथ में चरखा है। आदर के लिए सब किसान खड़े हो जाते हैं। मुलुआ पटेल हाथ जोड़ कर उनको चारपाई पर बिठालता है। फिर सब लोग बैठ जाते हैं।)

मोहन—पंचो ! आज हमारे गाँव का बड़ा सौभाग्य है कि शहर के प्रसिद्ध नेता पधारे हैं। आज़ादी के बाद आप देश के रचनात्मक कार्यों में जुट गए हैं। आपका अधिकांश समय किसानों की भलाई में ही जाता है।

जानकी वल्लभ—किसान भाइयो ! मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ। आजादी के पहले मैं गान्धी जी की फौज का एक छोटा-सा सिपाही था। आज देश के आजाद होते ही मैं एक छोटा-सा जनसेवक हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं है। मैं तो आज गाँव के हर घर में पूज्य गान्धी जी का पवित्र सन्देश पहुँचाता हूँ। देखिए मेरे हाथ में गान्धी का प्यारा चरखा है। इस चरखे के बल पर गान्धी जी ने देश आजाद किया। आज हम चाहते हैं कि गान्धी जी के इस चरखे से गाँव की गरीबी को दूर किया जाए।

देवी—नेताजी, चरखे से हमारी गरीबी कैसे दूर हो सकती है ?

जानकी वल्लभ—यही बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चरखा हमारी गरीबी को कैसे दूर कर सकता है। भाइयो, आज चरखे ने कितने ही लोगों के जीवन और हृदय को बदल दिया है। चरखा हमारे श्रम और उद्योग का चिन्ह है। चरखा हमारी गरीबी को सुख और समृद्धि में बदल सकता है।

हरिया—(हाथ जोड़कर) लेकिन नेता जी, हम यह तो समझे ही नहीं कि चरखे से किसान का दुःख कैसे दूर हो सकता है ?

जानकी वल्लभ—भाइयो, आज अन्य देशों की अपेक्षा हमारे राष्ट्र के किसान अत्यन्त अनपढ़, गरीब और पिछड़े

हुए हैं। इसका कारण यह है कि हमारे किसान खेती की अपेक्षा कोई दूसरा धन्धा नहीं करते। न तो वे फुर्सत के समय पढ़ते हैं और न कोई उद्योग ही करते हैं। केवल आराम से चौपालों में बैठकर फुर्सत का सारा समय गप-शप और लड़ाई-झगड़ों में बिता देते हैं।

प्यारे—हाँ, नेता जी आपकी यह बात बिलकुल सही है। आज फसल को कटे पूरे डेढ़ महीने हो गए। खलियान उठ गए लेकिन तब से अब तक हमने कोई काम नहीं किया है। घर बैठे रोटी ही खा रहे हैं।

जानकी वल्लभ—इसलिए किसान को चाहिए कि वह खेती के बाद अपने फुर्सत के समय में चरखा काते। यह घर बैठे का काम है। इसे वृद्ध, जवान, मर्द, औरतें आदि सभी चला सकते हैं। चरखा चलते ही गाँव के जुलाहे, बढ़ई, धुनिए और लुहार और रंगरेज सभी पनप सकते हैं।

देवी—एक चरख से पाँच आदमी कैसे अपने पेट भर सकते हैं?

जानकी वल्लभ—किसान चरखा काते। बढ़ई चरखा बनाकर हाट, बाज़ार और गाँव में बेचे। लुहार कीली, मार्ना और तकुए बनाए, धानुक रुई धुने, जुलाहे कपड़े बनाए और रंगरेज़ कपड़े रंगे।

धन्नू—(प्रसन्न होकर) हाँ महाराज आपने बात बिलकुल सही बताई है।

हरिया—नेता जी, मैं चरखा तो चला लेता हूँ लेकिन कपड़ा बुनना नहीं आता।

धन्नू—नेता जी कपड़ा बुनना हमारे गाँव के सुमेरा कोरी को आता है।

सुमेरा—हाँ महाराज, मैं खौर, खेस, दरी और मोटी चादरें बुन लेता हूँ। मेरे घर पर एक करघा भी लगा है। उसी को चलाकर मैं अपने परिवार का पेट भरता हूँ।

जानकी वल्लभ—चरखा और करघा दोनों जुड़वाँ भाई-बहन हैं। एक दूसरे के बिना दोनों जीवित नहीं रह सकते। इसलिए हमको दोनों का ही सहयोग लेना चाहिए। हमको इस काम के लिए एक बुनकर संघ और चरखा कताई संघ खोलना चाहिए। साथ ही गाँव में एक किसान सहकारी समिति की स्थापना करनी चाहिए।

धन्नू—नेता जी हमारे गाँव में ग्राम पंचायत है। वह इस काम को कर सकती है।

जानकी वल्लभ—भाइयो, यदि हम अपने ग्राम की उन्नति के लिये प्रत्येक को अलग-अलग काम सौंप दें तो उन्नति जल्दी हो सकती है। पंचायत के सदस्यों का काम यह होगा कि वे खेती की दशा सुधारें। पक्के तालाब और कुएँ आदि बनवाएँ। बुनकर लोग कपड़े बुनें, चरखे चलाने वाले सूत कातें! देखिए फिर कितनी जल्दी गाँव की दशा सुधरती है।

हरिया—हाँ, नेता जी यह बिलकुल ठीक है। इस रीत से काम बड़ी जल्दी होगा।

प्यारे—नेता जी मुझे न तो चरखा चलाना आता है और न करघे से कपड़ा बना सकता हूँ।

जानकी वल्लभ—तुम फिर गाँव का कोई और छोटा-सा धन्धा करो।

प्यारे—गाँव का ऐसा कौन सा धन्धा है?

जानकी वल्लभ—तुम हाथ से रस्सी बनाओ। बाँस और अरहर की सीकों से डलियाँ, टोकरी, पंखे आदि बनाओ। फिर बने हुए माल को बाज़ार में बेचो या सहकारी समिति में जमा कर दो; वह बेचकर तुम्हें उचित कीमत दे देगी।

प्यारे—नेता जी यह काम तो मैं कर लेता हूँ।

जानकी वल्लभ—तुम इस काम को अकेले ही न करना। जो लोग चरखा और करघे के कार्य में रुचि नहीं रखते हों उनको तुम एक स्थान पर बिठालकर यह काम सिखाओ और रस्सी, डलियाँ, टोकरी आदि बनवाओ।

मुलुआ—नेता जी किसान सहकारी समिति का चुनाव कर लो जिससे यह कार्य गाँव में जल्दी शुरू हो सके।

जानकी वल्लभ—कहो भई पंचो, आप सब समिति के सदस्य बनने को तैयार हो।

(समस्त पंच एक स्वर में गर्दन हिलाकर अपनी स्वीकृति देते हैं।)

जानकी वल्लभ—अब आप सब मिलकर एक मत से गाँव के किसी पढ़े-लिखे आदमी का चुनाव कर लो, जो सहकारी समिति का पूरा काम कर सके।

हरिया—मेरी समझ में मोहन भइया मन्त्री अच्छे रहेंगे।

देवी—बिलकुल ठीक। मोहन भइया दस क्लास तक पढ़ा-लिखा भी है। वह सब काम कर लेगा।

जानकी वल्लभ—तो किसान सहकारी समिति के मंत्री पद के लिए मोहन बाबू का नाम आपने चुना है। मेरी समझ में भी मोहन बाबू इस पद के लिए ठीक रहेंगे।

मुलुआ—नेता जी ग्राम पंचायत का सारा कार्य मोहन भइया ही

कर रहे हैं। मैं तो नाममात्र का पटेल हूँ। गाँव के सब किसान इन पर पूरा विश्वास करते हैं।

जानकी वल्लभ—अब मोहन बाबू सहकारी समिति की एक कार्यकारिणी चुन लें, फिर उन सदस्यों को अपना-अपना कार्य बता दें। यह कार्यकारिणी समिति का एक विधान बनाएगी जिसके अनुसार समिति कार्य करेगी।

मोहन—मुझे आपने इतना बड़ा कार्य सौंप दिया है। मैं तो इस कार्य के लिए योग्य नहीं था। फिर भी मैं आप सबके सहयोग से समिति का कार्य करने को तैयार हूँ। मैं समिति की कार्यकारिणी के लिए मुलुआ पटेल, हरिया, देवी, प्यारे, धन्नू और सुमेरा का नाम चुनता हूँ। यदि आपको कोई शिकायत हो आप उसे अभी कहदें ताकि सबके सामने उचित निबटारा हो सके।

(सब पंच एक स्वर में कहते हैं हमें कोई शिकायत नहीं)

जानकी वल्लभ—किसान भाइयो, बिना धन के कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता। इसलिए समिति को चलाने के लिए आप कल मोहन बाबू के पास दस-दस रुपए जमा करादें ताकि वे कुछ सदस्यों को साथ लेकर शहर से सामान खरीद लावें।

मुलुआ—पंचो, हम सबको मिलकर कल मोहन भइया के पास रुपए जमा कर देने चाहिएँ जिससे काम जल्दी हो शुरू किया जासके।

मोहन—अब पंचायत समाप्त होती है। नेता जी को आज ही शहर लौट जाना है।

(सब किसान बारी-बारी से उठकर जाते हैं। उनके उठते ही पर्दा गिरता है)

दूसरा दृश्य

(मुलुआ की झोंपड़ी। झोंपड़ी कुछ बदली हुई है। झोंपड़ी बिलकुल स्वच्छ और सुघर है। झोंपड़ी के दाएँ किनारे पर चरखा कताई संघ है। बाएँ किनारे पर करघा बुनकर संघ है। दोनों खुले दो छप्परों में हैं। कुछ लोग काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वही चौक है। वही नीम का पेड़ है। पेड़ के नीचे चारपाई पड़ी है। पर्दा खुलते ही चारपाई पर मुलुआ कुछ उदास मुर्झाया-सा बैठा दिखाई पड़ता है। उसके चेहरे पर चिन्ता और विषाद की झुर्रियाँ उभरी हुई हैं। सहसा कुछ क्षण के पश्चात उसकी पत्नी केशरिया झोंपड़ी से बाहर निकल कर आती है)

केशरिया—**(पति को देखकर)** सगाई किस गाँव में पक्की करके आए हो? अजी कुछ सुनते हो मैं क्या बक रही हूँ।

मुलुआ—**(उदास भाव में)** काहे को प्राण खा रही है। इतनी करम फूटी है! कोई सगाई लेता ही नहीं है।

केशरिया—क्या कह रहे हो तुम?

मुलुआ—हाँ, हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। रतनी करमफूटी है, करमफूटी। उसके विवाह के लिए पूरे दो हजार रुपए चाहिएँ। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ सब लोग यही कहते हैं कि अब तो पटेल के घर में चरखा और करघा चलते हैं। रुपए खूब कमा लिए होंगे। रामपुरा के चौधरी सुखलाल लड़के के विवाह में तीन हजार माँगते हैं और धरमपुर के ठाकुर दो हजार रुपए का दहेज माँगते हैं। अब तू ही बता दहेज को इतना रुपया कहाँ से लाऊँ। मैं तो कहता हूँ कि रतनी का गला घोंट दें।

केशरिया—हाय दइया! क्या बक रहे हो? बुढ़ापे में तुम्हारी मति तो नहीं सठिया गई है। मैं कहती हूँ कि अमीर के नहीं तो किसी गरीब के पाँव पूज लो! तुमने जो चार सौ रुपए जोड़ रखे हैं उनमें सौ दो सौ रुपए और मिलाकर ब्याह कर दो।

मुलुआ—(क्रोध के आवेग में) खबरदार केशरिया जो तूने उन रुपयों के खर्च का नाम लिया। कल ही तो प्यारे शहर से लौटकर आया था और कह रहा था कि सेठ दुलीचन्द करज के रुपए लेने गाँव में आवेंगे। अगर करज के रुपए आज नहीं पटाए तो वह खेत, कुआँ और मकान सभी कुड़क करा लेवेगा। फिर कहीं भी सिर छिपाने को जगह नहीं मिलेगी।

केशरिया—खेत और कुआँ तो तुमने पहले से ही दे दिए। अब तुम्हारे पास रखा भी क्या है जिसे कुड़क करावेगा।

मुलुआ—पगली खेत और कुआँ कोई मैंने किसी को करज में थोड़े ही दे दिए हैं। वे तो सहकारी समिति में हैं। पहले कितने छोटे-छोटे खेत थे। उनमें अनाज भी थोड़ा होता था। अब तो देख खरीफ की फसल कितनी हुई है। बड़े खेतों में बड़ी फसल पैदा होती है। सब लोग मिलकर काम करते हैं। सहकारी समिति ने खरीफ का अनाज बेचकर सब किसानों को सौ-सौ रुपए बाँटे हैं। बाकी अनाज किसानों को खाने के लिए बाँट दिया है। पहले हम इतने रुपए का अनाज बेच भी नहीं पाते थे।

केशरिया—मुझे तो आज तक रुपया नहीं दिया। गाँव की सब औरतें गाली देती हैं। मैंने भी तो चरखा चलाकर सूत काता, पंखे, टोकरी और डलियाँ बनाई थीं।

मुलुआ—धीरज रखेगी तो सब मिल जावेगा। सबर का फल मीठा होता है। मोहन को चार दिन हो गए शहर को गए। आज लौट कर आता ही होगा। सुना है बारह सौ रुपए का माल बिक चुका है।

(सहसा दुलीचन्द का गली से प्रवेश। केशरिया घूंघट काढ़कर घर में चली जाती है। मुलुआ आदर से हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है।)

दुलीचन्द—**(चारपाई पर बैठते हुए)**—मुलुआ तेरे गाँव पर तो किसी ने जादू कर दिया है। यह तो हमारे शहर से भी अच्छा लगने लगा है। पहले गाँव की गलियाँ कितनी गन्दी रहती थीं, अब तो सड़क से भी ज्यादा साफ़ रहती हैं। गाँव के बाहर कितना बड़ा तालाब बनाया है। पहले तो यह था नहीं और हाँ खेत भी बड़े-बड़े हो गए हैं। क्या बात है? मुझे तो भगवान की करामात मालूम पड़ती है। अरे तेरे यहाँ तो चरखे भी चलते हैं। यह कपड़ों का कारखाना कब से खोल रखा है। मालूम पड़ता है तूने किसी का माल तो नहीं उड़ा दिया।

मुलुआ—सेठ जी हमने न तो किसी का धन चुराया है और न भगवान ने गाँव में कोई करामात की है। यह सब हमारी मेहनत की करामात है। हमने पसीने से गाँव के खेतों को सींचा है। श्रम से धन कमाया है। लगन और उत्साह से गाँव की गलियों को सजाया है।

दुलीचन्द—मुलुआ, गाँव के बाहर जो तालाब है वह क्या सरकारी मशीनों से खोद कर बनाया है?

मुलुआ—नहीं सेठ जी यह तो गाँव की पंचायत का कार्य है। गाँव के प्रत्येक स्त्री-पुरुष ने श्रमदान करके तालाब बनाया है।

दुलीचन्द—और यह चरखा संघ और बुनकर संघ क्या तूने खुलवाए हैं।

मुलुआ—सेठ जी यह किसान सहकारी समिति की ओर से खुले हैं। इनमें गाँव के सभी स्त्री पुरुष फुर्सत के समय यहाँ आकर काम करते हैं। माल बेचकर उनकी मेहनत के बराबर दाम दे दिया जाता है।

दुलीचन्द—तो तूने भी बहुत सा रुपया जमा कर लिया होगा, इसलिए आज तू मेरे रुपए मय ब्याज के चुका दे।

मुलुआ—चार सौ रुपये जोड़ रखे हैं। मैं तो आपकी दस दिन से बाट देख रहा था। मैं आपको करज के रुपए अभी लाया।

(मुलुआ झोंपड़ी में जाता है और कुछ क्षण के पश्चात रुपए एक कपड़े में लेकर लौटता है)

मुलुआ—लो सेठ जी कपड़े में पूरे चार सौ रुपए के नोट बँधे हैं। मन में कुछ शंका हो तो गिन लो।

दुलीचन्द—शंका किस बात की मुलुआ तू कोई चोर-उचक्का थोड़े ही है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। अरे हाँ, कभी तुम्हें रुपए की जरूरत और पड़े तो माँग लेना। शरम नहीं करना।

मुलुआ—सेठ जी अब तो आपसे रुपए करज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाँव में एक किसान सहकारी कोष खुल गया है। हम उसमें से जरूरत के समय चाहे जब रुपए बिना सूद के उधार ले सकते हैं।

दुलीचन्द—कोई बात नहीं है।

(दुलीचन्द का जाना। केशरिया का बड़-बड़ाते हुए घर से निकलना।)

केशरिया—कान खोलकर सुन लो, कल मैं रतनी को लेकर मायके चली जाऊँगी। अपने भइयों से रतनी का ब्याह करा लूंगी। तुम यहाँ बैठे-बैठे सूत कातते रहना।

मुलुआ—केशरिया अब रतनी का भार सर से उतारना है। करज पट गया है। घबड़ाती क्यों है?

(सहसा गली में से हरिया का प्रवेश)

हरिया—कैसे बैठे हो दद्दू।

मुलुआ—क्या बताएँ हरिया अभी एक करज को पटाकर सन्तोष की साँस भी न ले पाए तब तक रतनी के विवाह का विचार दौड़ आया।

हरिया—बैसाख के महीने में रतनी का विवाह भी कर डालो। अब दो महीने ही तो रह गए हैं। तब तक नया अनाज भी घर में आ जावेगा। दद्दू यह फसल बहुत अच्छी होगी। मोहन भइया ने खेतों में सिन्दरी का खाद घोल कर छिड़का है।

केशरिया—(अकड़कर) तुम्हारे तो कोई बिटिया नहीं है। आज साल भर हो गई बिटिया का पहाड़ सीने पर रखे। हम तो साँस भी नहीं ले पाते। दुनिया सियानी लड़की को देखकर ताने देती है। मैं तो इसी महीने में ब्याह करूँगी।

हरिया—हाँ काकी! बात सही है। लेकिन आजकल बिना दहेज दिए ब्याह भी नहीं हो पाता। मैं एक बात कहूँ, दद्दू?

मुलुआ—कहो हरिया ऐसी कौनसी बात है।

हरिया—मेरा विचार है कि अपने मोहन भइया ने गाँव की भलाई के लिए तन मन धन से कार्य किया है। उसने हमारे उजड़े गाँव को हरा भरा बनाया है। मैं चाहता हूँ कि गाँव में मोहन का घर भी बस जाए।

मुलुआ—तुम्हारा मतलब है कि मोहन के साथ में अपनी बेटी का ब्याह कर दूँ। लेकिन मेरे ऐसे भाग्य कहाँ हैं जो मोहन के साथ मेरी बेटी का ब्याह हो जाए।

हरिया—इस बात की दद्दू तुम चिन्ता मत करो। मैं सब सम्हाल लूँगा। मैं मोहन को विवाह करने के लिए राज़ी कर लूँगा।

(मोहन का सहसा प्रवेश। केशरिया चली जाती है)

मोहन—दद्दू क्या बातें हो रही हैं?

मुलुआ—कुछ नहीं मोहन भइया जनम का रोना रो रहे हैं। रतनी के विवाह की बात चल रही थी। जहाँ भी सगाई करने जाता हूँ निराश होकर लौट आता हूँ।

मोहन—दद्दू! निराश होकर क्यों लौट आते हो?

मुलुआ—हजारों रुपये दहेज माँगते हैं।

मोहन—दद्दू आप घबड़ाएँ नहीं। हम बिना दहेज के रतनी का विवाह करेंगे। दहेज की प्रथा बहुत बुरी है। आज प्रतिदिन दहेज की प्रथा से हज़ारों घर बरबाद हो रहे हैं। हम अपने गाँव में पंचायत करके इस रीति को मिटावेंगे।

हरिया—हाँ, मोहन भइया तब तो तुम्हारा बड़ा भला होगा।

मोहन—मैं आपकी बातों में एक बात कहना तो भूल ही गया। काकी अब तो खुश हो जाओ।

(केशरिया तनिक मुस्करा जाती है)

मुलुआ—ऐसी क्या बात है, मोहन भइया!

मोहन—कल बाजार में अपना कुल सामान साढ़े चार सौ रुपए का बिका है। आप चाहो तो कल सब रुपयों को बाँट दो। अरे हाँ सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सरकार ने हमारे उद्योग के लिए किसान सहकारी समिति को कुछ वार्षिक धन सहायता के रूप में देने को कह दिया है।

मुलुआ—मोहन, तुझे हमारे गाँव की बड़ी चिन्ता रहती है। कुछ अपनी भी तो सोच। अकेले रहकर ऐसे कैसे जीवन चलेगा।

हरिया—हाँ, भइया मैं तो कहता हूँ कि तुम अपना विवाह कर लो।

मोहन—दद्दू, अभी ब्याह करने का मेरा कोई विचार नहीं है। फिर एक बात और है। मेरा घर और द्वार नहीं, निठल्ला-सा फिरता हूँ, कोई मेरे साथ अपनी लड़की कैसे ब्याह देगा?

हरिया—इस बात की चिन्ता मत करो। तुम बस अपने मुँह से विवाह के लिए हाँ कर दो।

मोहन—अच्छा भई तुम लोगों की यही मर्ज़ी है तो मैं तैयार हूँ।

हरिया—ओ काकी! अरी ओ काकी! ज़रा जल्दी बाहर आ।

(केशरिया झोंपड़ी से बाहर आती है।)

केशरिया—क्या बात है? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो जी। आप लोगों को तो कुछ काम नहीं है मैं तो चरखा छोड़कर आई हूँ।

हरिया—अरे चरखा चलाइयो पीछे। पहले नारियल और रुपया तो ला। घर बैठे जमाई मिल गया है।

केशरिया—कौन है?

हरिया—अरे ये हैं अपने मोहन भइया!

(केशरिया घर में जाती है। कुछ क्षण के बाद लौट कर एक थाल में नारियल, रोली और एक रुपया रखकर लाती है। मुलुआ मोहन के हाथ पर नारियल और रुपया रख देता है। केशरिया रोली का तिलक लगाती है। फिर दोनों पाँव छूते हैं। हरिया प्रसन्न होता है—पर्दा गिरता है)

शमसपुर में समाजवाद

डी० राघवन

दिल्ली से २२ मील की दूरी पर स्थित शमसपुर नाम के एक अज्ञात से गाँव में समाजवाद को मूर्त रूप दिया जा रहा है। यहाँ के ८० परिवार, जिसमें से ३६ हरिजनों के हैं, अपने ढंग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम के इतिहास का एक नया पृष्ठ लिख रहे हैं। कुल परिवारों में से ५० के पास अपनी भूमि है, शेष जिनमें अधिकतर हरिजन हैं, खेतिहर मज़दूर हैं और बहुत मेहनत करने के बावजूद भी मुश्किल से अपना गुज़ारा कर पाते थे। सदियों से वे मिट्टी की झोंपड़ियों में रहते आए थे, संचार-साधनों के अभाव में बाहरी दुनिया से उनका अब तक कोई सम्पर्क नहीं था। भूमि भी अधिक उपजाऊ नहीं थी, सिंचाई का यह हाल था कि पानी बरसा तो बरसा वर्ना भगवान मालिक।

वास्तव में गाँव के जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का किसी को ख्याल भी नहीं आया था। यूं ही दिन गुज़र रहे थे कि एक दिन सुबह के समय गुड़गाँव से राष्ट्रीय विस्तार सेवा केन्द्र की जीप आकर शमसपुर की एक गन्दी गली में खड़ी हुई। जीप आई और गई, फिर आई और फिर गई और जीप के आने-जाने का यह सिलसिला बराबर चलता रहा। हर बार सार्वजनिक संस्थाओं और सरकारी अभिकरणों (एजेंसियों) के नए-नए प्रतिनिधि स्त्री-पुरुष उस जीप में वहाँ आते। इस तरह सिखाने-पढ़ाने का आरम्भिक कार्य खत्म हो गया और गाँववालों को यह महसूस होने लगा कि अगर वे ईंटें बनाने के लिए सहकारी समिति बना लें तो खुद अपने प्रयास से वे पूरी तरह गाँव का नक्शा ही बदल सकते हैं। एक समिति बनाई गई और गाँव के हर परिवार ने उसका ५० रुपए का एक-एक हिस्सा खरीद लिया। इस प्रकार शेयर बेच कर ४ हज़ार रुपए की पूंजी इकट्ठी हो गई, इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सहकारी बैंक से भी ऋण ले लिया

गया । फलस्वरूप, एक-दम १५० लोगों को भट्ठे में रोज़गार मिल गया । हर मास ६ लाख ईंटें तैयार होने लगीं । उत्पादन बढ़ जाने के साथ-साथ ईंटों के भाव में कमी हो गई—४५ रुपए प्रति हज़ार से घट कर भाव १७ रुपए प्रति हज़ार हो गया । समिति के सदस्यों की जरूरत पूरी होने पर जो ईंटें बाकी बचती थीं, उनका २७ रुपए प्रति हज़ार की नियमित दर से निर्यात किया जाता था । भारत सेवक समाज भी समिति की सहायता पर आ गया और उसने १० हज़ार रुपए खर्च करके दो मील लम्बी प्रवेश सड़क बनवा दी जिससे शमसपुर गुड़गाँव से सम्बद्ध हो गया ।

गाँव वाले अब पुराने गाँव के स्थान पर नया गाँव बसाना चाहते थे । गाँव की रूप-रेखा में वे इस प्रकार का सुधार करने के लिए तैयार थे कि हर परिवार को उसकी आवश्यकता और सामर्थ्य के अनुसार नया मकान मिल सके । गाँव की सारी भूमि को इकट्ठा किया गया और हर परिवार की आवश्यकता और सामर्थ्य के अनुसार भूमि का नए सिरे से वितरण किया गया । हर परिवार ने अपनी मर्ज़ी से और बगैर किसी दबाव के अपनी भूमि दे दी और इसके बदले में जितनी भी भूमि मिली, उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया । यह था समाजवाद का मूर्तरूप ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के आयुक्त (कमिश्नर) ने गाँव के हरिजनों को सहायता की मंजूरी दी । कम आय आवास योजना के अन्तर्गत भी गाँव के हर परिवार को आर्थिक सहायता दी गई । इस प्रकार गाँव का हर परिवार गाँव को नए सिरे से बसाने के काम में पूरी तरह जुट गया ।

गाँव में दो प्रकार के मकान लोकप्रिय हुए हैं । पहले हैं २० फुट × ६० फुट क्षेत्रफल वाले एक कमरे वाले मकान जिन पर १२०० रुपए लागत आती है । इस प्रकार के हर मकान में बगैर धूएँ वाला चूल्हा, एक स्नानागृह, एक गढ्ढे वाली टट्टी और पिछवाड़े के खुले सहन में ढोरों के लिए स्थान है । दूसरी प्रकार के मकानों में तीन कमरे हैं और उनका क्षेत्रफल ६० फुट × १२० फुट है । उनकी लागत ६ हज़ार रुपए है । इन मकानों में उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त दो बड़े सहन, ढोरों के लिए स्थान और खाद्यान्न और चारा जमा करने के लिए अलग जगह भी है । इस प्रकार शमसपुर के निवासियों ने सिर्फ दो प्रकार के सीधे-सादे मकान चुने हैं, जिससे जहाँ तक आवास का सम्बन्ध है गाँव में अधिक भिन्नता नहीं रही है । यह है गाँव में सक्रिय समाजवाद का दूसरा पहलू ।

अब अहीर और हरिजन साथ-साथ रहते हैं । उन्होंने अब यह अनुभव कर लिया है कि जब तक वे पुरातनपंथी रहेंगे, वे कुछ भी नया काम नहीं कर सकते । नए मकान लगभग तैयार हो चुके हैं, अब गाँव वालों को बिजली का चाव है । बिजली के तार लगाए जा रहे हैं और वह समय दूर नहीं जब गाँव में बिजली पहुँच जाएगी । बिजली पहुँच जाने पर गाँव में कोल्हू लगाने और हौज़री (बनियान, जुराबें आदि) का काम शुरू करने की योजना है । गाँव में शीघ्र ही तेल निकालने के कुटीर उद्योग के लिए एक प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्र खोला जाएगा ।

गाँव वालों ने काफी लम्बी-चौड़ी योजना बनाई है । योजना पूरी हो जाने पर गाँव में एक पंचायत घर, एक प्राइमरी स्कूल, एक स्वास्थ्य केन्द्र और एक सामुदायिक हाल होगा । दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गाँव वालों को विशुद्ध पानी और आरोग्य सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध हो जाएँगी ।

खाद्य पदार्थों के गुण और उपयोगिता

सावित्रीदेवी वर्मा

हमारा देश कृषि प्रधान है। यहां की धरती उपजाऊ है। अगर सिंचाई की कुछ सुविधाएँ बढ़ा दी जाएँ और किसान कृषि सम्बन्धी कुछ वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त कर लें तो देश में धन धान्य की कमी नहीं रह सकती। हर साल देश का करोड़ों रुपया विदेशों से अनाज मंगाने में खर्च होता है। अन्न की कमी को जमीन में अच्छी खाद के उपयोग द्वारा अधिक फसल पैदा करके दूर करने के अतिरिक्त यह भी जरूरी है कि हमारे देश की महिलाएँ भोजन के गुण और महत्व को समझें। केवल अन्न से पेट न भर कर, भाजी, सब्जी, फल, दूध, जो व्यक्ति मांस खाते हैं वे गोश्त, मछली, अंडे आदि से अपने भोजन को सन्तुलित करें। महिलाएँ भोजन ठीक विधि से बनाना सीखें, ताकि उसमें सार बना रहे।

चावल हमारे यहां बहुत श्रेष्ठ भोजन माना गया है। पूजा और उत्सवों पर इसका व्यवहार अवश्य किया जाता है। भारत में चावलों की कई किस्में हैं। देहरादून और पंजाब का बासमती चावल बहुत बढ़िया समझा जाता है। इसकी तासीर ठंडी मानी गई है। यह कफ उत्पन्न करने वाला, बलवीर्य और नेत्र-ज्योति को बढ़ाने वाला होता है। पेट के रोगों में इसका पथ्य लाभदायक माना गया है। अन्य अनाजों की तरह चावल के छिलके में विशेष सार होता है। मशीन से पालिश करने से वह सार चला जाता है। इस दृष्टि से ऊखल का कुटा धान अधिक सारपूर्ण और खाने में मीठा होता है। चावल को इस प्रकार पकाना चाहिए कि उसकी मांड न निकालनी पड़े। बंगाल में चावल को पका कर पानी में भिगो देते हैं। इससे इसमें खमीर उत्पन्न हो जाता है। फिर उसे छौंक कर खाते हैं। गर्मियों में इस प्रकार का चावल लाभकारी है। खमीर पैदा होने के कारण उसमें विटामिन 'बी' पैदा हो जाता है। इसके अतिरिक्त चावल को कूट कर 'चिउड़ा' भी बनाया जाता है। यह कच्चा भिगो कर दही के संग भी खाया जाता है। इससे इसका सार बना रहता है। चावल के मुरमुरे या परवल आदि भी बनाए जाते हैं। यह जल्दी हजम हो जाते हैं इसलिए बच्चों के लिए उपयुक्त हैं। चावल के आटे से पापड़, बड़ी, दोसे, फिरनी, मिठाई, आदि बनाई जाती हैं। चावल की खीर और पुलाव बहुत स्वादिष्ट होता है।

उत्तर भारत व पंजाब का मुख्य भोजन गेहूं है। यह बल और वीर्य को बढ़ाने वाला तथा तृप्तिदायक माना गया है। जिन प्रान्तों में गेहूं खाया जाता है, वहां के लोग मजबूत पाये गए हैं। भोजन को सन्तुलित रखने के लिए कम से कम दिन में एक बार गेहूं की रोटी अवश्य खाई जाए। गेहूं से आटा, सूजी, मैदा, दलिया और निशास्ता तैयार होता है। आटे को छान कर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चोकर बड़ी गुणकारी होती है। उसमें विटामिन 'इ' पाया जाता है।

पंजाब की मक्का बहुत उत्तम प्रकार की होती है। उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, मध्यभारत में भी मक्का काफी पैदा होती है। मक्का की रोटी छाछ के संग खाने से जल्द हजम होती है। भुट्टे खाकर ऊपर से नमक डाल कर गाढ़ी छाछ पी ली जाए तो वे जल्द हजम हो जाते हैं। मक्का की रोटी संग्रहणी में गुणकारक है। यह कफनाशक और शीतल मानी गई है।

जुआर में मक्का के सब गुण हैं, पर यह जरा देर में पचती है। मध्यप्रदेश और मध्यभारत में गरीबों का भोजन जुआर ही है।

दाल हमारे भोजन का एक उपयोगी अंग है। जो लोग मांसाहारी नहीं हैं और जिन्हें दूध भी प्राप्त नहीं होता, वे दाल से ही प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। दालों में विटामिन 'ए' और 'बी' पाई जाती है। अंकुरित दालों में विटामिन 'सी' और 'इ' भी होती है। पर इनको कच्चा ही खाना चाहिए। अगर नाश्ते के समय एक मुट्ठी अंकुरित चना या मूंग खा ली जाए तो बहुत अच्छा है। दाल से कई चीजें बनती हैं। इसके आटे में थोड़ा-सा आलू मिला कर रोटी भी बनती है। मूंग, उर्द या चने की दाल की मिठाइयां बहुत स्वादिष्ट होती हैं। बेसन की लोकप्रियता तो सब को पता है। कुछ दालें जल्दी हजम हो जाती हैं यथा मूंग, मसूर और अरहर। पर उर्द, चना, मटर की दालें कुछ वायु पैदा करने वाली हैं और देर से हजम होती हैं। सोयबीन की गणना भी दालों में ही की जाती है। यह प्रोटीन चिकनाई और विटामिन से युक्त है। इसकी प्रोटीन गोश्त की प्रोटीन की बराबरी करती है। इसका दूध, पनीर तथा आटा भी बनता है। सोयबीन एक उपयोगी अन्न है। चीन, जापान और अमेरिका में यह काफी मात्रा में पैदा किया जाता था।

महात्मा गान्धी ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि इसकी खेती को लोकप्रिय बनाया जाये, क्योंकि इससे हमारे भोजन की बहुत सी कमी पूरी हो सकती है।

दाल जल्द हज़म हो सके इसलिए इसे हरी सब्ज़ी मिला कर पकानी चाहिए।

हमारे भोजन में विटामिन 'ए' तथा खनिज नमक का होना बहुत ज़रूरी है। मांस, मछली, अंडे, दूध में विटामिन 'ए' व 'डी' बहुतायत से पाया जाता है। पर सब के लिए ये सुलभ नहीं है। हरी साग-भाजी में एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे 'कैरोटेने' कहते हैं। यह विटामिन 'ए' की तरह ही उपयोगी है। पालक, चौलाई, बथुआ, कुलफा, चना, मेथी, सरसों, मरसा आदि का साग सस्ता और खाने में स्वादिष्ट होता है। इन्हें दाल या आलू के संग मिलाकर बनाया जाए। पर याद रखें, साग का पानी फेंका न जाए। काटने से पहले पत्ता-पत्ता धो लेना चाहिए। काटने के बाद साग कभी मत धोएँ। इन सागों के अतिरिक्त मूली, गाजर, शलगम के पत्ते भी खाए जाते हैं। कद्दू, लौकी, और पेठे की बैलों के नर्म डंठलों का भी साग बहुत स्वादिष्ट बनता है।

अन्य तरकारियां तीन भागों में बांटी जा सकती हैं। एक तो वे जो धरती के अंदर होती हैं यथा आलू, प्याज, शकरकन्दी, बंडा, गाजर, मूली, गाठ गोभी, शलगम, जिमीकन्द आदि। दूसरी वे जो बेलों में लगती हैं यथा लौकी, कद्दू, तुरई, पेठा, सेम, कुंदरू, परवल, करेले, सिघाड़े, कमलककड़ी, खीरा, ककड़ी आदि। कुछ भाजियां छोटे-छोटे पौधों में लगती हैं या फूल के रूप में पैदा होती हैं यथा भिंडी, बैंगन, टिंडे, टमाटर, फूलगोभी, बन्द गोभी। कुछ भाजियां पेड़ों में भी लगती हैं यथा कटहल, कचनार, सेहजन की फली आदि।

कुछ भाजियों में स्टार्च अधिक होता है यथा आलू, शकरकन्दी, घुइयां, कचालू। कुछ भाजियां विशेष रूप से गुणकारी और जल्द पच जाती है जैसे टमाटर, गाजर, लौकी, परवल, कुंदरू, तुरई, शलगम, टिंडे। इनमें विटामिन बहुतायत से पाये जाते हैं। बीमार के पथ्य के लिए भी ये भाजियां श्रेष्ठ हैं। इनका सूप अच्छा बनता है। भिंडी, कटहल, घुइयां, और कचाल, गोभी जल्द हज़म नहीं होते। कचनार, करेला, मूली, कमल ककड़ी ये भाजियां कफ पित्त के दोष को दूर करने तथा रुधिर को साफ करने वाली भाजियां हैं और पेट में कई रोगों के लिए भी लाभदायक मानी गई हैं।

भाजी ताज़ी खानी चाहिए। अगर आप की रसोई के पास कुछ धरती हो तो उसे संवार कर भाजी बो दें। ताज़ी भाजी का स्वाद ही कुछ और होता है। आंगन में बेलें तो आसानी से लगाई जा सकती हैं। धनिया, पोदीना और हरी मिर्च तो आप गमलों और कनस्तरों में ही लगा सकती हैं। इससे आपका महीने में दो तीन रुपए का खर्च बच जाएगा।

हमारे देश में अनेक प्रकार के फल होते हैं। मौसम पर अनेक फल सस्ते मिल जाते हैं। इसलिए आप भोजन में फलों को ज़रूर शामिल करें। आंवला और टमाटर विटामिन 'सी' की दृष्टि से सब से उत्तम हैं और मौसम पर सस्ते भी मिल जाते ह। भोजन के समय एक दो आंवले और टमाटर अवश्य खाने चाहिएं। सस्ते फलों में आम, ककड़ी, खीरा, खरबूज़ा, तरबूज़, सिघाड़ा, कमल गट्ठा, फूट, अमरूद, बेर, शरीफा, इमली, नाशपाती, जामुन, आम, केला, खजूर, बडहल, गूलर, कमरख, फालसा, खिरनी, बर, बेल, शहतूत, नींबू और कैथा हैं। मौसम पर ये काफी सस्ते मिल जाते हैं। जो पैसा आप चाट पकोड़ियों पर खर्चते हैं, वह इन पर खर्चें। ज़रूरत तो इस बात की है कि आप भोजन सम्बन्धी अपनी आदतों को सुधारें, तभी आप को सन्तुलित भोजन मिल सकता है।

महँगे फलों में अनार, सेब, अंगूर, सन्तरे, माल्टा, मीठें नींबू, पपीता, बढ़िया किस्म के आम आदि हैं। मौसमी फल सभी गुणकारी होते हैं। खाने के लिए फल न तो कच्चा हो न बहुत पक्का। खाने से पहले उन्हें भली प्रकार धो लें। जहां तक हो सके ककड़ी, खीरा, सेब, अमरूद, कमरख, टमाटर, आंवला, आदि फलों को छील कर नहीं खाना चाहिए। खरबूज़े को हज़म करने के लिए शरबत, आम को हज़म करने के लिए दूध या दूध की लस्सी, केले को हज़म करने के लिए छोटी इलायची ठीक मानी गई है। खाली पेट शरीफा, नाशपाती, अमरूद, बडहल, बेर, खिरनी, ककड़ी, खीरा खाकर पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो पेट में दर्द और कफ विकार हो जाता है। अनार, सन्तरे, अंगूर, माल्टा, फालसा, शहतूत, नींबू, इमली, टमाटर, आम, अनानास, सेब, तरबूज़ के रस का शरबत बहुत अच्छा बनता है। ताज़ा रस थोड़ा पानी में चीनी मिलाकर भी पीने में बहुत स्वादिष्ट और तरावट देने वाला होता है।

बादाम आदि सूखे फलों का 'केलोरीज' महत्व बहुत अधिक है। शारीरिक परिश्रम करने वालों को इनका अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। इनमें पोषण तत्व और चिकनाई

काफी मात्रा म पाई जाती है। नारियल, चिरोंजी, मूंगफली, तिल, सरसों आदि तेल में धनी हैं। इन्हें कच्चा या भोजन के संग मिलाकर खाया जाता हैं। बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट ये भी विटामिन और तेल की दृष्टि से धनी हैं, पर महंगे होने के कारण इन्हें सब नहीं खरीद सकते। तासीर में ये गर्म, चिकने तथा भारी होते हैं। पुलाव, हलवा, मिठाइयों में पिस्ता, बादाम व काजू से सजाई जाती हैं। किसमिस, मुनक्का, खुमानी, अंजीर, खजूर, आलू बुखारा पेट के लिए बहुत लाभदायक हैं। खून बढ़ाते हैं। पथ्य में भी दिये जाते हैं। ये पाचक व शीतल होते हैं। बल और वीर्य को बढ़ाने वाले हैं।

हमारे भोजन में मसालों का विशेष महत्व है। मसालों का प्रयोग भोजन को स्वादिष्ट, पाचक, सुगन्धित व सुन्दर बनाने के लिए किया जाता है। नमक, मिर्च, हल्दी, सोंठ, हींग, धनिया, अजवायन, जीरा, राई, लौंग, सौंफ आदि ऐसे मसाले हैं जो भोजन को स्वादिष्ट और पाचक दोनों बनाते हैं।

कई भाजियों को स्वादु बनाने के लिए पांच मसाले मिलाकर छौंक दिया जाता है। इनको 'पँचफोड़न' कहते हैं। यह मेथी, सौंफ, जीरा, राई और कलौंजी इनको बराबर मात्रा में मिलाने से बनता है। जिस भोजन में पंचफोड़न का छौंक लगता है उसमें हींग भी डाली जाती है। पर प्याज और लहसुन का मेल इसके संग ठीक नहीं बैठता। भोजन बनाने के बाद सुगन्ध के लिए ऊपर से गर्म मसाला डाला जाता है, यह बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, काला जीरा और दालचीनी बराबर बराबर मात्रा में तथा थोड़ी सी जावत्री और तेजपात डालकर कूट लिया जाता है, फिर इसे छानकर शीशी में भर लेना चाहिए नहीं तो इसकी खुशबू उड़ जाती है। सुगन्ध और सजावट के लिए केसर, जायफल तथा छोटी इलायची भी खीर आदि में डाली जाती है। प्याज की तासीर गर्म है। बल व वीर्य को बढ़ाने वाला तथा कफ व पित को नष्ट करने वाला है। यह कच्चा और मसाले में भून कर दोनों तरह खाया जाता है। लहसुन बहुत गुणकारी है। ब्लड प्रेशर (रुधिर चाप) बढ़ जाने पर तथा डायबेटिस में यह विशेष गुणकारी बताया गया है। वैद्यक शास्त्र के अनुसार यह कई अन्य दोषों को दूर करता है। पर इसकी दुर्गन्ध के कारण लोग इसे खाना कम पसन्द करते हैं। घी में इसकी कलियां तल कर छौंक लगाने से इसकी गंध कम हो जाती है। मसालों में हरा पोदीना और धनिया भी काम आता है। ये ठंडे और पाचक होते हैं। इनकी गंध बहुत अच्छी होती है। धनिये में विटामिन 'सी' अधिक मात्रा में पाया जाता है। चटनी, सलाद के लिए भी यह बहुत उपयोगी है। पोदीने का पानी बड़ा पाचक होता है इसकी चटनी और रायता भी बहुत स्वादिष्ट होता है।

●

तीसरे वर्ष में हमने क्या किया ?—[पृष्ठ १० का शेषांश]

सेवक के पद को एक किया जाए। पंचायत के मन्त्री और ग्राम सेवक का काम अलग-अलग है।

ग्राम सेवक हिसाब-किताब का ब्यौरा रखा करें, इस बात को आवश्यक बताया गया है। विस्तार कार्यों की उन्नति के लिए यह ज़रूरी है। कृषि के विस्तार कार्यक्रम का विशेष ध्यान रखते हुए ग्राम सेवक के महत्वपूर्ण योग पर विशेष बल दिया गया है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि ग्राम सेवक को विस्तार कार्यों पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

प्रतिवेदन में बताया गया है कि अनेक योजना-क्षेत्रों में स्वास्थ्य और सफाई के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए और कहीं-कहीं तो जनता की मांग के कारण लक्ष्यों में वृद्धि भी की गई।

सामाजिक शिक्षा और संचार के बारे में भी विशद रूप से प्रतिवेदन में लिखा गया है कि चन्दे के आधार पर स्कूलों की इमारतें बनाने में काफी सफलता मिली है किन्तु शिक्षा सम्बन्धी सुधार अभी कम हो सके हैं। अनेक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित करने पर विशेष ज़ोर दिया गया है। ऐसा होने पर ही शिक्षा सम्बन्धी अनेक सुधार आसानी से किए जा सकेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के महत्व पर प्रतिवेदन में प्रकाश डाला गया है और बम्बई राज्य के कोल्हापुर ज़िले के कार्य की सराहना की गई है। प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया गया है कि ऋण सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। वर्तमान व्यवस्था में अनेक ऋण कोष, विभिन्न विभागों द्वारा प्रशासित होने के कारण, ठीक तरह नहीं चल पाते। अतः इन संस्थाओं के कार्यों में समन्वय आवश्यक है। ऋण देने वाली संस्थाओं और राजस्व विभाग में अधिक समन्वय स्थापित होना चाहिए।

विभिन्न योजना क्षेत्रों में औद्योगिक कार्यक्रमों के बारे में प्रतिवेदन में बताया गया है कि औद्योगिक कार्यक्रम, क्षेत्र विशेष के विकास के अंग होने चाहिएँ, और वे उस क्षेत्र की आर्थिक तथा औद्योगिक स्थिति के अनुकूल होने चाहिएँ।

प्रगति के पथ पर

विकास आयुक्तों की सिफारिशें

विकास आयुक्तों के सम्मेलन का तीसरा अधिवेशन नैनीताल में मई के पहले-दूसरे सप्ताह में हुआ। जमीन की चकबन्दी के बारे में यह सिफारिश की गई कि किसी क्षेत्र में विस्तार कार्य शुरू करने से पहले वहाँ चकबन्दी का काम किया जाना चाहिए। कहा गया है कि जहाँ राष्ट्रीय विस्तार सेवा या सामुदायिक विकास का कार्यक्रम पहले से चल रहा है, वहाँ जल्दी से जल्दी चकबन्दी करने की व्यवस्था की जाए। उत्तर प्रदेश और पंजाब में चकबन्दी का काफी काम हो चुका है। सम्मेलन ने यह सुझाव दिया है कि इस कार्य के लिए आवश्यक कर्मचारी रखने के मामले में अन्य राज्य भी पंजाब और उत्तर प्रदेश की कार्य-प्रणाली का अध्ययन कर लें।

सम्मेलन ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं में अपनाने के लिए एक न्यूनतम कृषि कार्यक्रम की भी सिफारिश की है। कहा गया है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि तथा जल रक्षण के कार्य, सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ाने के लिए नदियों, नहरों आदि के प्रवाह को बदलने आदि के कार्य, गाँवों में कृषि कार्यक्रम बनाने का कार्य, भरपूर खेती के तरीके अपनाने की व्यवस्था, पौधों की रक्षा के कार्य आदि सम्मिलित होने चाहिएँ।

जिन क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्य चल रहा है वहाँ के लिए भी एक न्यूनतम कार्यक्रम की सिफारिश की गई है। इस कार्यक्रम में ये कार्य सम्मिलित हैं—पूरे विकास खण्ड में भूमि और जल का सर्वेक्षण करना, सिंचाई की व्यवस्था करना और नालियाँ बनाना, संचार व्यवस्था में सुधार करना, खेती, चराई और परती जमीनों का वर्गीकरण करना और जमीन तथा पानी के सर्वेक्षण के आधार पर मुख्य योजना बनाना।

घरेलू उद्योगों के बारे में सम्मेलन ने यह सिफ़ारिश की है कि हर राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड में उद्योगों के लिए एक-एक विस्तार अधिकारी रखा जाना चाहिए।

विकास आयुक्तों ने यह भी सिफ़ारिश की है कि तकावी ऋण सम्बन्धी सरकारी नियमों में ढील दी जानी चाहिए और सहकारी समितियों द्वारा ऋण पर लिए जाने वाले ब्याज की दर घटा देनी चाहिए, क्योंकि उसके कारण बहुत से किसान इस तरह के ऋणों का फायदा नहीं उठा पाते।

सामुदायिक योजना क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएँ बढ़ाने के बारे में सम्मेलन ने पिछले साल की सिफ़ारिश को ही दोहराया कि हर योजना-क्षेत्र में एक प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र और तीन जच्चा उप-केन्द्र होने चाहिएँ। परिवार नियोजन की आवश्यकता पर भी सम्मेलन ने ज़ोर दिया।

देहातों में मकान बनाने के कार्यक्रमों पर विचार करके सम्मेलन ने कहा कि दूसरी योजना में इस कार्य के लिए जो ५ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है, उससे आदर्श गाँव बनाये जाएँ।

इससे पहले के अधिवेशन में सम्मेलन ने यह सिफ़ारिश की थी कि दूसरी योजना की अवधि में जो नए ३,८००

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड बनाए जाएंगे, उनमें से १,१२० खण्डों को सामुदायिक विकास खण्डों में परिवर्तित कर देना चाहिए। इस कार्यक्रम के लिए दूसरी योजना में २०० करोड़ रुपए की व्यवस्था को कम समझा गया और अधिक धन की व्यवस्था की सिफ़ारिश की गई है।

विकास आयुक्तों ने सामुदायिक विकास-योजना प्रशासन की यह सिफ़ारिश मान ली कि सामुदायिक योजना खण्ड का खर्च १५ लाख रुपए से घटाकर १२ लाख रुपए और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड का खर्च ८ लाख ५० हज़ार रुपए से घटाकर ४ लाख रुपए कर दिया जाए।

पशुओं की खूनी दस्तों की बीमारी

खूनी दस्तों की बीमारी पशुओं की सबसे खतरनाक बीमारी है। इससे हर साल लगभग ४ लाख पशु मर जाते हैं। बीमारी के बाद जो बचते हैं वे कमज़ोर रह जाते हैं। अनुमान है कि अकेली इस बीमारी से देश का प्रतिवर्ष लगभग ३० करोड़ रुपए का नुकसान होता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पशुओं की खूनी दस्तों की बीमारी के उन्मूलन के लिए २,८२,३४,००० रुपए की लागत का एक विशाल कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसमें से १,५७,८४,००० रुपए केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जायगा।

भारतीय पशु चिकित्सा गवेषणाशाला तथा देश के अन्य केन्द्रों में की गई गवेषणाओं के परिणामस्वरूप अब ऐसी वैक्सीनें बनाई गई हैं जिनसे पशु इस रोग से बच सकते हैं। बताया गया है कि एक बार इंजेक्शन देने से १४ साल तक पशु रोग-मुक्त रहेंगे। इस दृष्टि से एक पशु को जीवन में एक इंजेक्शन देना पर्याप्त होगा। बड़े पैमाने पर पशुओं को इन वैक्सीनों के टीके लगाने से देश में इस रोग की पूरी तरह से रोकथाम की जा सकेगी।

पशुओं के रोगों की रोकथाम के कार्य के महत्व को समझते हुए योजना आयोग ने पहली योजना में इस कार्य के लिए १५ लाख ७० हजार रुपए की व्यवस्था की थी। मार्च १९५४ में भारत सरकार ने एक केन्द्रीय रक्तातिसार नियंत्रण समिति बनाई और अक्तूबर १९५४ में बम्बई, हैदराबाद, आंध्र, मैसूर, मद्रास, कुर्ग और तिरुवांकुर-कोचीन राज्यों में एक प्रारम्भिक योजना चालू की थी। इस योजना के परिणाम-स्वरूप ५० लाख से भी ज्यादा पशुओं की रोगों से रक्षा की गई। इस अनुभव के आधार पर अब दूसरी योजना के अन्तर्गत एक देश-व्यापी कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

उर्वरकों का महत्व

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के विस्तार और प्रशिक्षण निदेशकालय ने एक पुस्तक तैयार की है, जिसमें विभिन्न उर्वरकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। "फर्टिलाइज़र गाइड" (उर्वरक निदेशिका) नामक इस पुस्तक में बताया गया है कि ज़मीन की उर्वरता बढ़ाने और अच्छी फसलें पैदा करने के लिए, कहाँ और किस रासायनिक खाद का उपयोग करना चाहिए। इस तरह का यह पहला प्रकाशन है, इसके बाद इसी तरह की और भी पुस्तकें निकालने का उक्त निदेशकालय का विचार है। यह पुस्तक मुख्यतः विस्तार कर्मचारियों के लिए लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि पौधों में किस तत्व की कमी की क्या पहचान होती है और इसको कैसे पूरा किया जा सकता है।

खण्ड विकास अधिकारियों का प्रशिक्षण

खण्ड विकास अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए इस समय देश में तीन केन्द्र हैं। इनमें अब तक ९४९ अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और ३२ अधिकारी अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों को अपनी राज्य सरकारों से जो वेतन और भत्ते मिलते हैं, उसके अलावा उनको ७५ रुपए प्रति माह का एक पूर्ति भत्ता भी दिया जाता है।

सुहावनी वेला]

[फोटो : आर० कृष्णन्]

उत्कृष्ट प्रकाशन

महात्मा गान्धी

महात्मा गान्धी की कहानी—चित्रों म

यह चित्रमय कहानी काल क्रम अनुसार है और महात्मा गान्धी के अलौकिक जीवन के महत्वपूर्ण अध्यायों में बँटी हुई है। यह आशा की जाती है कि इस समय तक उनके जीवन तथा कार्य-कलाप के सम्बन्ध में जो प्रचुर सामग्री एकत्र हुई है यह प्रकाशन उसका उपयुक्त चित्रमय पूरक प्रमाणित होगा।

सादा जिल्द १०) रु०
सिल्क जिल्द १५) रु०

स्वाधीनता और उसके बाद—

जवाहरलाल नेहरू के भाषण

प्रधान मंत्री नेहरू के १९४६ से १९४९ तक विशेष अवसरों पर दिए गए ६० महत्वपूर्ण भाषण। स्वाधीनता, महात्मा गांधी, साम्प्रदायिकता, काश्मीर, हैदराबाद, शिक्षा, उद्योग, भारत की वैदेशिक नीति, भारत और राष्ट्र मण्डल, भारत और विश्व, आदि विषयों पर। सभी दृष्टियों से संग्रहणीय और पठनीय ग्रन्थ। रु० ५)

भारत दर्शन

(चित्रों में)

भारत की कहानी दिग्दर्शित करने वाले विविध चित्रों का अनमोल संग्रह है। देश के निवासी, पशु, वनस्पति, प्राकृतिक रचना, आदि का विहंगावलोकन। भारतीय जीवन विचारधारा, परिस्थिति, प्राकृतिक दृश्य इत्यादि, विभिन्न पहलुओं का स्थलानुरूप समावेश। रु० ७॥)

भारतीय कला का सिंहावलोकन

मोहिन्जोदरो के समय से लेकर भारत के प्राचीन मध्ययुगीन तथा आधुनिक कला के ३७ रंगीन और १०० एक रंगी चित्रों का संग्रह। रु० ६॥)

भारत की एकता का निर्माण

अगस्त १९४७ से दिसम्बर १९५० तक भारत के इतिहास के तेजस्वी काल में दिए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल के २७ महत्त्वपूर्ण भाषण जो स्वतन्त्र भारत के निर्माण का यथार्थ प्रमाण हैं कई दुर्लभ चित्रों सहित। रु० ५)

पब्लिकेशन्स डिवीज़न,

ओल्ड सेक्रेटरिएट, दिल्ली—८

Printed at the Mufid-i-'Am Press, Delhi, and Published on behalf of Community Projects Administration by the Publications Division Delhi-8.